

www.gshindi.com

Presents Monthly Magazine March 2017

Other products:

The HINDU Analysis LSTV Summary, AIR Debates



facebook.com/gsforhindi

Current Affairs MARCH 2017

Topic	Page
Polity	2-6
Programme &Schemes	6
Geography, Environment& Ecology	7-10
Science and Technology	10-12
Social issues	12-20
International Relation& International events	20-26
National Issues	27-31
Editorials	31-38
Security issues GENERAL ST	38-41 UDIES HINDI
Economy	41-44
Governance/Ethics	44-47
Miscellaneous	47-48

Polity

1. लंबित आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश

सुप्रीम कोर्ट नेअदालतों में वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे की समय सीमा तय कर दी.

What SC said:

- शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोटों से कहा है कि वे अपनी अधीनस्थ अदालतों को जमानत याचिकाओं का निपटारा एक हफ्ते के भीतर करने का निर्देश दें .यही नहीं, सभी मिजस्ट्रेट छोटे आपराधिक मामलों में कैद विचाराधीन कैदियों के खिलाफ मुकदमे का निपटारा छह महीने के अंदर करें .
- सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्देश के तहत सत्र अदालतों को गंभीर आपराधिक मामलों का निपटारा दो साल में करना होगा.
- पांच साल पुराने सभी मामले इस साल के अंत तक निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए '.
- अदालत ने यह भी कहा कि कोई विचाराधीन कैदी दोषी साबित होने से पहले ही संभावित से अधिक सजा काट चुका है तो उसे, व्यक्तिगत बांड पर रिहा कर देना चाहिए.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'समय पर न्याय मानवाधिकारों का ही हिस्सा है त्वरित न्याय को नकारने . से लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था से डिग सकता है इसलिए, संसाधनों की कमी के बावजूद इसे नकारा नहीं जा सकता'.

2. मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016

- केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने सदन में मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, 2016 पेश किया जिसे सदन ने बहुमत से पारित कर दिया
- 1961 के मूल कानून की जगह संशोधित विधेयक में संगठित क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए मातृत्व अवकाश की अविध बढ़ाने के साथ .साथ कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं-
- इसके तहत बच्चे को कानूनन गोद लेने वाली महिलाओं के साथ साथ सरोगेसी यानी उधार की-कोख के जिरये संतान सुख पाने वाली महिलाओं को भी कानून के दायरे में लाया गया है
- इस विधेयक का उद्देश्य मां और बच्चों को बेहतर देखभाल की सुविधा मुहैया कराना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला नेतृत्व के विकासकी दिशा में इस विधेयक को मील का पत्थर बताया है.

मातृत्व लाभ कानून, 1961 में संशोधन की जरूरत क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई संगठनों का मानना है कि मां और (डब्ल्यूएचओ) बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कामकाजी महिलाओं को24 हफ्ते का मातृत्व अवकाश देना जरूरी हैद (सरवाइवल) डब्ल्यूएचओ के मुताबिक बच्चों की उत्तरजीविता .र में सुधार के लिए 24 हफ्ते तक उन्हें सिर्फ स्तनपान कराना जरुरी होता है संगठन का यह भी मानना है कि पर्याप्त मातृत्व अवकाश और आय . इसके अलावा .की सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं के किरअर पर बुरा असर पड़ता है2015 में विधि आयोग ने मूल कानून में संशोधन करके मातृत्व अवकाश की अविध को बढ़ाकर 24 हफ्ते करने का भी सुझाव दिया थासाथ ही ., बदलते समय के साथ सरोगेसी के जिए बच्चे पैदा करने और बच्चे गोद लेने के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए ऐसी महिलाओं को भी इस कानून के दायरे में लाने के लिए यह संशोधन किया गया है.

मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, 2016 में क्या-क्या प्रावधान

- प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अविध 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है .
- विधेयक में अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से आठ हफ्ते पहले लिया जा सकता है .1961 के मूल कानून में यह अविध छह हफ्ते की थी .
- अगर महिला के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे केवल 12 हफ्ते का ही अवकाश मिलेगा इसका . मूल कानून में बच्चों .लाभ प्रसव की संभावित तारीख से छह हफ्ते पहले ही उठाया जा सकता है .की संख्या तय नहीं की गई थी
- महिलाओं को जिन्होंने तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनन गोद लिया है, 12 हफ्ते का अवकाश दिया जाएगा.
- सरोगेसी के जिरये संतान सुख पाने वाली मिहला को भी इतने ही हफ्ते का लाभ दिया जाएगा. यह अविध उस तारीख से मानी जाएगी जब बच्चे को गोद लिया गया हो या सरोगेसी के जिरये संतान पाने वाली मिहला को बच्चा सौंपा गया हो.
- संशोधित विधेयक में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों से क्रेच की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया हैसाथ ही., उन्हें महिलाओं को दिन में चार बार क्रेच जाने की सुविधा देने को भी कहा गया है.
- नए विधेयक में काम की प्रकृति इजाजत दे तो महिलाओं को घर से काम करने की भी सुविधा देने की बात कही गई है.
- > इसके अलावा प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे महिला कर्मचारी को नियुक्ति के समय मातृत्व लाभ के बारे में जानकारी लिखित और ई.के रूप में उपलब्ध कराएं (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) मेल-

Some negatives

- नए विधेयक में कामकाजी महिलाओं की सुविधाओं के लिए कई प्रावधान शामिल करने और सुविधाओं के दायरे को बढ़ाने के बावजूद कई सवाल उठ रहे हैं इसमें सबसे बड़ी आपित .1961 के मूल कानून की तरह ही असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं करने को लेकर है ऐसी कामगारों की संख्या कुल महिला कर्मचारियों के करीब .90 फीसदी तक है .2015 में विधि आयोग ने असंगठित क्षेत्र को भी इस कानून के दायरे में लाने का सुझाव दिया थाहालांकि .. ऐसी महिलाएं इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत वित्तीय लाभ का दावा कर सकती हैं इस योजना के तहत किसी गर्भवती महिला को दो बच्चों के लिए .6,000-6,000 रुपये दिए जाते हैं लेकिन जानकारों के मुताबिक यह योजना मातृत्व लाभ कानून का विकल्प . नहीं हो सकती क्योंकि यह वेतन के नुकसान या रोजगार सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामाधान नहीं कर पाती इसके अलावा ऐसी महिलाओं को अपने और बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कारणों . .के चलते अवकाश लेने में मुश्किलें हो सकती हैं
- संशोधित विधेयक में इस कानून का लाभ लेने के लिए बच्चों की संख्या तय कर दी गई है मूल . यानी की दो बच्चों के बा .कानून में यह प्रावधान नहीं थाद पैदा होने वाले बच्चों के समय पुराने कानून के तहत केवल 12 हफ्ते की छुट्टी ही मिल पाएगी कई जानकार इस पर सवाल उठा रहे . हैं कि ऐसी स्थिति में डब्ल्यूएचओ की सिफारिशों का क्या होगा जो बच्चों के लिए24 हफ्ते तक स्तनपान को बेहद जरुरी मानता है तीसरे या इसके बाद .के बच्चे के लिए महिलाओं को इस बुनियादी मातृत्व सुविधा से वंचित करना कहां तक सही होगा?

1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम के अतिरिक्त भी कई ऐसे कानून हैं जिनके तहत महिला कामगारों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं .अलग हैं-इन कानूनों के प्रावधान अलग .2002 में दूसरे श्रम आयोग ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मातृत्व लाभ सिहत विभिन्न श्रम कानूनों में एकरूपता लाने का सुझाव दिया था) इन कानूनों में कर्मचारी राज्य बीमा कानून .1948), अखिल भारतीय सेवा अवकाश नियम)1955), केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम)1972), फैक्ट्री कानून)1948), श्रमजीवी पत्रकार और विविध प्रावधान नियम, 1957, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कानून)1966) और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट)2008) शामिल हैं . .संशोधित विधेयक में भी सरकार ने श्रम आयोग की सिफारिशों की अनदेखी की है

नए विधेयक में महिलाओं के लिए फायदे के साथ-साथ कई नुकसान भी हैं

- प्रस्तावित विधेयक के तहत अवकाश की अविध बढ़ाने से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है.
- विधेयक में कहा गया है कि अवकाश के दौरान नियोक्ता लाभार्थी महिला को पूरा वेतन देगा. कोई भी निजी कारोबारी संस्थान फायदा हासिल करने और कर्मचारी को इसके लिए तैयार करने पर पैसे और समय खर्च करता है ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला कामगारों को .26 हफ्ते की छुट्टी के साथ वेतन देना उनके लिए दोहरे घाटे का सौदा साबित हो सकता है और इसलिए संभव है कि वे नौकरी में महिला की जगह पुरूषों को वरीयता देंसाथ ही ., इसका असर उन नियोक्ताओं पर पड़ना तय है जिनमें महिलाओं कामगारों की बड़ी संख्या है.

3. शत्रु संपत्ति विधेयक को संसद की मंजूरी (संशोधन)

In news:

संसद ने विवादास्पद शत्रु संपत्ति विधेयक (संशोधन और विधिमान्यकरण), 2017 को अपनी मंजूरी दे दी हैविधेयक में संशोधन . के राज्यसभा के प्रस्तावों को लोकसभा ने मंगलवार को ध्वनिमत से मंजूर कर लियाराज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है .

In detail

GENERAL STUDIES HINDI

- प्रस्तावित कानून से पांच दशक पहले के शत्रु संपत्ति कानून, 1968 में संशोधन हो जाएगा पुराना . कानून चीन और पाकिस्तान से साठ के दशक में हुए युद्ध के बाद लागू किया गया था उसके . जिरए चीन और पाकिस्तान चले गए लोगों की देश में मौजूद संपत्तियों पर कब्जे का अधिकार .सरकार को मिल गया था
- New definition: नए संशोधित कानून से 'शत्रु' अब .की परिभाषा का विस्तार हो जाएगा 'शत्रु' का नया अर्थ पूर्व घोषितशत्रुओं के उत्तराधिकारियों से भी होगा ऐसे में नए कानून के लागू होने . .के बाद पूर्व घोषित शत्रु के उत्तराधिकारियों का ऐसी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रह जाएगा यदि ऐसी संपत्ति के मालिक का कोई उत्तराधिकारी भारत लौट भी आता है तो संपत्ति पर उसका .आलोचक कानून के इस प्रावधान को विवादास्पद बता रहे हैं .कोई हक नहीं होगा

Page 4 / 48

CENTRE, THE CUSTODIAN A look at the Enemy Property Act, 1968 and the Centre's latest move to amend it After the 1962 Sino-THE AMENDMENT Indian war and the 1965 Indo-Pak war, the The Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016, government took over the properties of those who passed by the Lok Sabha, intends to guard migrated from India These 'enemy properties' were taken over by the against claims of properties by the descendants of those Centre via the Enemy who migrated abroad Property Act, 1968

4. बनेगा नया पिछड़ा आयोग, संसद के पास होगा आरक्षण देने का अधिकार

केंद्र सरकार ने पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बढ़ती मांग को देखते हुए नया आयोग बनाने का फैसला किया है। नया आयोग वर्तमान में मौजूद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह लेगा। इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा। वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग का संवैधानिक दर्जा नहीं है।

नए आयोग का नाम नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज)एनएसईबीसी(रखा जाएगा। इस आयोग की सिफारिश के बाद संसद पिछड़ा वर्ग में नई जातियों के नाम जोड़े जाने या हटाए जाने पर फैसला करेगी। इस आयोग के गठन के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

- वर्तमान में ओबीसी सूची में जातियों के नाम जोड़ने या हटाने का काम सरकार के स्तर पर होता है। नया आयोग सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछडों को परिभाषित करेगा।
- देश के अलग-अलग राज्यों में कई जातियां आरक्षण की मांग कर रही है। हरियाणा में जाट आंदोलन नए आयोग का गठित किए जाने के फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है।
- सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 को रद्द करने का फैसला किया गया है। इसके रद्द होने से वर्तमान में मौजूद ओबीसी आयोग भंग हो जाएगा। इसकी जगह संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 338बी को जोड़ा जाएगा।

नए आयोग का स्वरुप:- GENERAL STUDIES HINDI

इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे। विभिन्न वर्गों की ओर से पिछड़े वर्ग में शामिल किए जाने की मांग पर भी विचार यही करेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी खास वर्ग के ज्यादा प्रतिनिधित्व या कम प्रतिनिधित्व पर भी यही सुनवाई करेगा। पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में किसी भी वर्ग को जोड़ने या हटाने के लिए संसद की स्वीकृति लेने संबंधी अनुच्छेद 342ए जोड़ा जाएगा। यह भी तय किया गया है कि आयोग की सिफारिश सामान्य तौर पर सरकार को माननी ही होगी।

इसलिए नया आयोग बनाने का फैसला

--अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की जा रही थी। इसे ओबीसी की शिकायतें सुनने के लिए संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

क्या है मौजुदा पिछड़ा वर्ग आयोग

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में बना था।
- यह वैधानिक संस्था है। इसके तहत सरकार के स्तर पर ही फैसले होते हैं।
- आयोग का एक अध्यक्ष होता है और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- यह कानून एक फरवरी, 1993 से जम्मू-कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है।
- इसका काम किसी वर्ग को पिछड़ों की सूची में शामिल किए जाने के अनुरोधों की जांच करना है।
- आयोग केंद्र सरकार को ऐसे सुझाव देता है, जो उसे उचित लगता है।
- यह किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने का अधिकार रखता है।
- आयोग किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने को भी कह सकता है।

Programme & Schemes

1. <u>मानव विकास सूचकांक) HDI) : भारत 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर</u>

HDI Report

- भारत मानव विकास सूच्कांक (एचडीआई) में दुनिया के 188 देशों की सूची में 131वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र की HDI रिपोर्ट में यह कहा गया है।
- एशिया की तींसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत इस मामले में पाकिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों की श्रेणी में शामिल है।
- रिपोर्ट के अनुसार 63 प्रतिशत भारतीय 2014-15 में अपने जीवन-स्तर को लेकर 'संतुष्ट' बताये गये हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना आधार पर रिपोर्ट जारी करता है।

भारत मध्यम मानव विकासः श्रेणी में

- इसमें कहा गया है कि <mark>भारत का 131वां स्थान इसे</mark> 'मध्यम मा<mark>नव विकास' श्रेणी में रखता है जिसमें</mark> बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, केन्या, म्यांमा और नेपाल जैसे देश शामिल हैं।
- भारत का एचडीआई रैंक मूल्य 2015 में 0.624 रहा जो 2010 में 0.580 था।
- रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जीवन प्रत्याशा 2015 में 68.3 रही तथा प्रित व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5,663 डालर रही। सुरक्षित महसूस करने की धारणा के आधार पर 69 प्रतिशत ने 'हां' में जवाब दिया। विकल्प की आजादी के मामले में 72 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों ने संतुष्टि जतायी जबिक पुरूषों के मामले में यह 78 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जीवन संतुष्टि के मामले में 1-10 के पैमाने पर 4.3 अंक प्राप्त किया।

मानव विकास सूचकांक (HDI) क्या है ?

- मानव विकास सूचकांक (HDI) एक सूचकांक है, जिसका उपयोग देशों को "मानव विकास" के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। - इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है, अथवा अविकसित है।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) का इस्तेमाल किसी देश के मानव विकास के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
- इसके जरिए किसी देश में **बुनयादी मानवीय सुविधाओं की औसत प्राप्ति** को मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) द्वारा नापा जाता है।
- मानव विकास सूचकांक का आकलन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर व प्रति व्यक्ति आय आदि के आधार पर किया जाता है।

• इसे सबसे पहले 1990 में पाकिस्तान के प्रोफेसर **महबूब उल हक** ने पेश किया।

Geography, Environment& Ecology

सुप्रीम कोर्ट : औद्योगिक इकाईयों में कचरा शोधन संयंत्र जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने नदियों और तालाबों में दूषित कचरा प्रवाहित करने पर अंकुश लगाने के लिये निर्देश देते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि यदि औद्योगिक इकाईयों में चालू अवस्था में कचरा शोधन संयंत्र नहीं हो तो उन्हें काम करने की अनुमित नहीं दी जाए। लेकिन इससे पहले औद्योगिक इकाईयों को इस बारे में नोटिस दिया जाए।

-प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि नोटिस की तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण करके उनमें कचरा शोधन संयंत्रों की स्थिति के बारे में पता लगाना चाहिए।

-यदि औद्योगिक इकाईयों में कचरा शोधन संयंत्र काम करते नहीं मिले तो उन्हें और चालू रखने की अनुमित नहीं दी जाएगी। न्यायालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वे ऐसी औद्योगिक इकाईयों की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिये संबंधित विद्युत आपूर्ति बोर्ड से कहें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इन इकाईयों में कचरा शोधन संयंत्र चालू होने के बाद ही उन्हें फिर से काम शुरू करने की अनुमित दी जानी चाहिए। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने स्थानीय प्रशासन और नगर निगमों से कहा कि वे भूमि अधिग्रहण करने और दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तीन साल के भीतर साझा कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करें।

न्यायालय ने कहा कि यदि स्था<mark>नीय प्रशासन को साझा क</mark>चरा शोधन संयंत्र स्थापित करने और इसे चलाने में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा हो तो वे इसका उपायोग करने वालों पर उपकर लगाने के <u>मानदंड तैयार</u> कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारों को साझा कचरा संयंत्र स्थापित करने के बारे में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संबधित पीठ में दाखिल करना होगा।

2. अब देशभर के जानवरों का होगा अपना यूनीक आधार नंबर, उनमें लगाए जाएंगे माइक्रो चिप्स

- माइक्रो चिप्स के जिए सभी पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी और साथ ही उन्हें शिकारियों से सुरक्षित रखा जा सकेगा।
- देशभर में जिस प्रकार इंसानों को उनका आधार कार्ड के रूप में यूनीक नंबर दिया गया है उसी तरह अब जानवरों का भी आधार कार्ड बनवाया जाएगा।
- सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जानवरों के शरीर में एक माइक्रो चिप लगाई जाएगी। इस चिप को लगाने के बाद कोई कहीं से भी जानवरों के बारे में हर प्रकार की जानकारी ले सकता है।

कहाँ से शुरुआत :-

- इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून के चिला हाथी रेंज और मालसी डियर पार्क से की गई है जहां पर मौजूद हाथी, गुलदार, घड़ियाल, गिद और कछुवों के शरीर में चिप लगाई गई है।
- ❖ चिप को लगाने के बाद इसे जिम नाम के एक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा जिससे कि सभी चिड़ियाघर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे।

जटिल है प्रक्रिया:-

- जीवों के शरीर में चिप लगाने का काम बहुत ही कठिन है लेकिन इसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।
- इस अभियान की शुरुआत में देश के 166 में से 26 चिड़ियाघरों के जानवरों के शरीर में चिप लगाने का काम किया जाएगा। इस काम को करने में तीन साल लग जाएंगे।

लाभ :-

- इन सभी चिड़ियाघरों में हजारों की तदाद में जीव रहते हैं लेकिन इनका बाहरी कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन चिप के जिए जानवरों का इतिहास जाना जा सकेगा।
- इसके साथ ही सभी विडियाघरों की निगरानी की जा सकेगी और कोई भी अपनी मनमानी के जानवरों को इधर से उधर नहीं भेज पाएगा। और साथ ही उन्हें शिकारियों से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा।

3. भारत में अम्लीय वर्षा (Acid Rain) : पिछले 10 सालों के दौरान बारिश के पानी में एसिड की लगातार बढ़ रही है मात्रा

बारिश का पानी काफी उपयोगी माना जाता है, लेकिन प्रदूषण का असर इस पर भी दिखना शुरू हो गया है। वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण के कारण अब बारिश का पानी भी प्रदूषित हो रहा है और अब कई राज्यों में एसिड रेन के रूप में सामने आ रहा है। एक रिसर्च में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

- शोध में पता चला है कि पिछले लगभग 10 सालों के दौरान बारिश के पानी में एसिड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग और एक संस्था की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि नागपुर, मोहनबाड़ी (असम), इलाहाबाद, विशाखापत्तनम, कोडाईकनाल में बारिश का पानी बेहद प्रदूषित हो गया है।
- > इस रिसर्च में 2001 से 2012 के बीच लिए गए पानी के नमूनों की जांच की गई। इस दौरान पीएच स्तर 4.77 से 5.32 के बीच मिला।

PH क्या है

पीएच किसी द्रव की अम्लीयता और क्षारीयता मापने का मानक होता है। पीएच स्तर 1 से 14 तक होता है। सात पीएच वाले द्रव को न्यूट्रल, सात से कम पीएच को अम्लीय माना जाता है।

अम्लीय वर्षा के क्या कारण हैं

> नागपुर, मोहनबाड़ी (असम), इलाहाबाद, विशाखापत्तनम, कोडाईकनाल के पानी के नमूमों में पीएच की मात्रा 4.77 से 5.32 के बीच पाई गई। अगर पानी में पीएच की मात्रा 5.65 से कम हो तो

- ऐसे पानी को एसिड माना जाता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन जगहों पर एसिड रेन हो रही है
- नागपुर, मोहनबाड़ी (असम), इलाहाबाद, विशाखापत्तनम और कोडाईकनाल में एसिड रेन होने का कारण तेजी से बढ़ता प्रदूषण है। एसिड रेन बारिश के पानी में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के मिक्स होने का नतीजा है। ये प्रदूषित गैसें पावर प्लांट्स, गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं में होती हैं।

अम्लीय वर्षा के प्रभाव

इस तेजाबी बारिश का बुरा असर जमीन पर ही नहीं, बल्कि इमारतों पर भी पड़ता है।

- 1. इससे जमीन का उपजाऊपन कम होता है, जिस कारण फसलों के उत्पादन पर असर पड़ता है। इमारतें बदरंग और कमजोर हो जाती हैं। ताजमहल के संगमरमर की फीकी होती चमक, एसिड रेन का ही नतीजा है।
- 2. एसिड रेन की वजह से जली<mark>य जीवन पर असर पड़ता है। पानी</mark> और मिट्टी में हेवी मेटल बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर **इंसानी जिंदगी** पर पड़ता है।
- 3. यह रिसर्च बताती है कि <mark>वायु प्रदूष</mark>ण के कारण हमें सिर्फ सांस की बीमारियां ही नहीं होतीं, बल्कि जमीन से जल तक इस**से प्रभा**वित हो रहा है।
- 4. अगर हवा में प्रदूषण <mark>का स्तर ऐ</mark>से ही बढ़ता <mark>रहा, तो देश के अन्य रा</mark>ज्यों में भी एडिस रेन हो सकती है।

<u>4. परियोजनाओं को मंजूरी देने के दौरान इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की अनदेखी :</u> <u>CAG</u>

- > नियंत्रक और महाले<mark>खापरीक्षक</mark> (सीएजी) ने परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देने में कई खामियां पार्ड हैं.
- संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण मंजूरी दिए जाने से पूर्व इन परियोजनाओं के प्रभावों का सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है.
- साथ ही पर्यावरण मंत्रालय परियोजना को जिन शतों के आधार पर मंजूरी देता है, कंपनियां उनका भी पालन नहीं करती. रिपोर्ट में सरकार की ओर से परियोजनाओं की निगरानी के लिए पुख्ता तंत्र नहीं होने की भी बात कही है.
- सीएजी ने 2008-14 के दौरान मंजूर की गई कुल 568 परियोजनाओं की समीक्षा की. संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 14 फीसदी योजनाओं को ही निर्धारित समय सीमा यानी 60 दिनों के भीतर मंजूरी मिली. बाकी 86 फीसदी योजनाओं को मंजूरी देने में एक साल या इससे ज्यादा का वक्त लगा
- CAG के मुताबिक इनमें से 25 फीसदी परियोजनाओं के मामले में पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट सही तरीके से तैयार नहीं की गई थी.

5. प्रदूषण हर साल पांच साल से छोटे 17 लाख बच्चों की जान ले रहा है : डब्ल्यूएचओ

प्रदूषण के चलते हर साल दुनिया में पांच साल से कम उम्र के 17 लाख बच्चों की मौत हो जाती है. यह आंकडा इस आयु वर्ग में हर साल होने वाली मौतों का करीब एक चौथाई है.

- दो रिपोर्टों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह बात कही है कि प्रदूषित हवा और पानी, साफ-सफाई की कमी और प्रतिकूल माहौल में रहने के चलते बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है
- डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट 'इन्हेरिटिंग ए सस्टेनेबल वर्ल्ड: एटलस ऑन चिल्ड्रेन्स हेल्थ एंड एनवायरमेंट' और 'डॉन्ट पॉल्यूट माई फ्यूचर' के मुताबिक बच्चों की मौत की बड़ी वजहों में डायरिया, मलेरिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां हैं
- हर साल 5.7 लाख बच्चे न्यूमोनिया के शिकार बनते हैं. डायरिया से मरने वाले बच्चों की संख्या 3.6 लाख है तो वहीं मलेरिया से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा दो लाख है. इसके अलावा अनजाने में चोट लगने, जहरीली चीजें खाने, डूबने और गिरने की वजह से भी मौतें होती हैं. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2.7 लाख बच्चे जन्म लेने के एक महीने के अंदर ही मर जाते हैं.

Science and Technology

1. भारत ने किया स्वदेशी इंटरसेप्टर मि**साइल का सफल परीक्षण, क**म ऊंचाई वाली मिसाइल **को** मार गिराने में सक्षम

- भारत ने कम ऊंचाई वाली मिसाइल को मार गिराने में सक्षम स्वदेशी इंटरसेप्टर सिस्टम का सफल
 परीक्षण किया है। इस मिसाइल का एक महीने में दूसरी बार सफल टेस्ट किया गया
- वहीं इसे बहु स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसीत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
- उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से इस स्वदेशी मिसाइल को कम ऊंचाई पर परीक्षण किया गया। यह
 परीक्षण इंटरसेप्ट मिसाइल के कई मानकों को मान्यता देने के संबंध में किया गया था।
- यह मिसाइल 7.5 मीटर लंबा मजबूत रॉकेट है। साथ ही इसे नौवहन प्रणाली, हाईटेक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो-मैनिकल एक्टिवेटर की सहायता से गाइडेड मिसाइल से संचालित किया जाता है।
- गौरतलब है कि रक्षा संगठन डीआरडीओ के एक प्रोग्राम के तहत पिछले 11 फरवरी को पृथ्वी डिफेंस वीइकल का परीक्षण किया गया था
- तब यह 97 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्य को निशाना बनाया था। कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इंटरसेप्टर को टार्गेट भेदने के लिए छोड़ दिया जाता है
- बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरसेप्टर मिसाइल को टैकिंग रडारों से संकेत मिला जिसके बाद यह शत्रु मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने के लिए आगे अपने पथ पर बढ़ गई। इसके सफल परीक्षण पर
- 'अश्विन' ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य भेद दिया। गौरतलब है कि इस स्वदेशी मिसाइल का नाम अश्विन रखा गया है।
- इंटरसेप्टर मिसाल का अपना एक सचल प्रक्षेपक, हवा में निशाने को भेदने के लिए एक सुरिक्षत डाटा लिंक, स्वतंत्र ट्रैकिंग क्षमता और आधुनिक रडार हैं।
- इंटरसेप्टर मिसाइल ने 11 फरवरी को पृथ्वी के वायुमंडल से 50 किलोमीटर उपर, अधिक उंचाई पर एक प्रतिद्वन्द्वी बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्ण भेदा था। इससे पहले कम उंचाई पर 15 मई 2016 को एएडी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।

2. लापता चंद्रयान-प्रथम को नासा ने खोज निकालने का दावा किया

भारत की ओर से पहले चंद्र अभियान पर भेजे गए अंतिरक्षयान 'चंद्रयान-1' को अमेरिकी अंतिरक्ष एजेंसी नासा ने ढूंढ लेने का दावा किया है.

- > नासा ने बताया है कि यह यान अभी पृथ्वी से 3.8 लाख किलोमीटर दूर है और चंद्रमा की सतह से करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई से उसकी परिक्रमा कर रहा है.
- > इसके साथ ही नासा ने अपने लापता यान 'एलआरओ' को भी खोज निकालने की घोषणा की है.
- भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान को अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया था.
- करीब 10 महीने सेवाएं देने के बाद अगस्त 2009 में इसका इसरो के नियंत्रण कक्ष से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया था.
- नासा ने बताया है कि उसकी कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला (जेपीएल) ने इसे खोजा है. जेपीएल की टीम ने इसका पता लगाने के लिए 70 मीटर लंबे एंटीना और माइक्रोवेव की शक्तिशाली तरंगों का इस्तेमाल किया था.

3. स्वदेशी सुपर पॉवर ड्रोन 'भीम'

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के छात्रों ने देश का स्वदेशी सुपरपावर ड्रोन बनाया है. उन्होंने इसका नाम महाभारत के वीर योद्धा के नाम पर 'भीम' रखा है.
- आईआईटी छात्रों द्वारा विकसित यह मानवरित उपकरण एक मीटर लंबा है जो अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था में मदद देने के अलावा कई अनोखी खूबियों से लैस है. शोध छात्रों का दावा है कि अपने जबरदस्त बैटरी बैक-अप की वजह से यह सात घंटे तक उड़ान भर सकता है और एक किमी के दायरे में वाई-फाई जोन बना सकता है.
- भीम को आपदा और युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है. इसके जिरए सुरक्षा बलों, राहतकर्मियों और आम लोगों को बाधारहित संचार की सुविधा दी जा सकती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत देर तक उड़ान भरने और पैराशूट के जिरए आपातकालीन आपूर्ति बहाल करने की क्षमता है.
- यह काफी हल्का है. यही नहीं, इसकी कीमत भी भारत में निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे मौजूदा ड्रोन की कीमत की एक-चौथाई है.

4. भारत में मिला दुनिया का सबसे पुराना पौधे जैसा जीवाश्म

- वैज्ञानिकों ने मध्य भारत में लाल शैवाल का 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्म खोज निकाला है जो संभवत: धरती पर मौजूद पौधे के रूप में जीवन का सर्वाधिक पुराना सबूत है.
- स्वीडन के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने इसे मध्य प्रदेश के चित्रकूट में खोजा है.
- > इस खोज से पता चलता है कि आधुनिक बहुकोशिकीय जीवन पूर्व की सोच से बहुत पहले ही पनप चुका था.
- धरती पर जीवन के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, वे कम से कम 3.5 अरब वर्ष पुराने हैं. लेकिन ये एकल कोशिका वाले जीवों के हैं.
- पहले की खोजों में मिले बहुकोशिकीय जीव लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले के हैं. वर्तमान खोज से पहले जिस लाल शैवाल की खोज हुई थी, वह 1.2 अरब वर्ष पुराना है.
- शोधकर्ताओं को लाल शैवाल जैसे दिखने वाले दो जीवाश्म चित्रकूट में चट्टानों के नीचे अच्छी हालत में मिले हैं.

5. DNA बनेगा भविष्य का डाटा बैंक

- वैज्ञानिकों ने डीएनए में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक लघु फिल्म के साथ कुछ अन्य डेटा संरक्षित किया है। यह प्रगति आने वाले समय में बहुत अधिक कॉम्पैक्ट, बायलॉजिकल स्टोरेज उपकरणों के विकास का वाहक बन सकती है। इन उपकरणों के अगले हजारों वर्ष तक चलने की संभावना है।
- अनुसंधानकर्ताओं के नए अध्ययन में यह बात निकलकर सामने आयी है कि एक मोबाइल पर स्ट्रीमिंग वीडियो के लिए डिजाइन किये गये एल्गोरिदम से डीएनए के पूर्ण स्टोरेज क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने दिखलाया है कि ये प्रौद्योगिकी बहुत अधिक विश्वसनीय है।
- डीएनए स्टोरेज का आदर्श माध्यम साबित हो सकता है क्योंिक यह बहुत अधिक कॉम्पैक्ट साबित हो सकता है और सूखे एवं ठंडे स्थानों पर रखे जाने की स्थिति में हजारों वर्षों तक चल सकता है। इस अनुसंधान का प्रकाशन साइंस जर्नल में हुआ है।

SOCIA ISSUES:

1. WHO की रिपोर्ट : भारत में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज़

WHO की एक नई रिपोर्ट के मुता<mark>बिक भार</mark>त में 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं। ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपना सामान्य जीवन नहीं जा पा रहे हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज भारत में ही रहते हैं।

- इसके अलावा 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं। जो Anxiety के शिकार हैं। Anxiety एक तरह से चिंता से जुड़ी घबराहट होती है, और कई बार ये इतनी बढ़ जाती है कि Anxiety का शिकार व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। यानी भारत में करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरह की मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।
- पूरी दुनिया में 32 करोड़ 50 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार हैं..और इनमें से 50 प्रतिशत भारत और चीन में रहते हैं।
- WHO के मुताबिक वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2015 के बीच पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीज़ों की संख्या 18.4 प्रतिशत बढ़ी है।इन आंकड़ों के मुताबिक 78 प्रतिशत आत्महत्याएं कम और मध्यम आय वाले देशों में ही होती है। आपको बता दें कि भारत भी एक निम्न-मध्यम आय वाला देश है।

GENERAL STUDIES HIND! पूरी दुनिया में होने वाली कुल मौतों में सुसाइड यानी आत्महत्या की हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत है। वर्ष 2012 में पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे।

- एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में भारतीयों ने वर्ष 2015 के मुकाबले डिप्रेशन की ज्यादा दवाएं खाईं थी । वर्ष 2015 के मुकाबले 2016 में डॉक्टरों ने Anti Depressant दवाओं के prescriptions 14 प्रतिशत ज्यादा लिखे।
- े वर्ष 2016 में Anti Depressant दवाओं के 3 करोड़ 46 लाख नए पर्चे लिखे गये। जबिक वर्ष 2015 में ये संख्या 3 करोड़ 35 लाख थी। National Institute of Mental Health and Neurosciences के मुताबिक भारत में हर 20 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है।
- पूरी दुनिया में डिप्रेशन के मरीज़ों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम भी डिप्रेशन ही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य :-

- भारत में मानिसक स्वास्थ्य पर ज्यादा बात नहीं होती है। और सरकारें भी इस तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं देती हैं। भारतीय परिवारों में लोग अक्सर अपनी मानिसक परेशानियों को दूसरों के साथ नहीं बांटते हैं। छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाना हमारा स्वभाव बनता जा रहा है। छोटी उम्र से ही तनाव हम पर हावी होने लगा है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मानिसक तनाव कई दूसरी बीमारियों की वजह भी बन जाता है।
- आंकड़ों के मुताबिक भले ही भारत में डिप्रेशन के 5 करोड़ मरीज़ हों..लेकिन ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है..क्योंकि भारत में मानिसक परेशानियों के ज्यादातर मामले, डॉक्टरों तक पहुंचते ही नहीं है। बहुत सारे मामलों में ये पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है.
- भारत एक युवा देश है..और अगर हमारे युवा डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे..तो फिर भारत एक सुपरपावर, कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए डिप्रेशन के खिलाफ भारत को बड़े स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी।

2. जनसंख्या नियंत्रण : चौथे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4) के आंकड़े

चौथे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य **सर्वेक्षण (एनएफएचएस-**4) के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन के उपाय पर्याप्त रंग ला रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह घट कर 2.2 पर पहुंच गया है, जो कि 2.1 के लक्ष्य के बहुत करीब है।

- लेकिन बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) राष्ट्रीय औसत से डेढ़ गुना ज्यादा है। उस पर से यह बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। इसलिए इसका असर राष्ट्रीय आंकड़ों पर पड़ता है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में टीएफआर की देश की सबसे तेज 1.1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है
- अब यूपी में यह दर घट कर 2.7 पर पहुंच गई है। यह सर्वेक्षण 2015 तक के आंकड़ों पर आधारित है और पिछला राष्ट्रीय सर्वेक्षण नौ साल पहले किया गया था।
- जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास में भले ही देश भर में तेजी से कामयाबी मिल रही हो लेकिन बिहार में ये प्रयास बहुत लचर साबित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जहां अब प्रत्येक महिला औसतन 2.2 बच्चे पैदा कर रही है, बिहार में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) अब भी 3.4 बनी हुई है।
- जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की वजह से अब देश के 15 राज्य दो या उससे कम प्रजनन दर पर पहुंच चुके हैं। 2.2 अंक के राष्ट्रीय औसत से अधिक सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और नगालैंड ही हैं।
- इनमें भी मध्य प्रदेश 2.3 और राजस्थान 2.4 अंक के साथ राष्ट्रीय औसत के काफी करीब हैं। झारखंड 2.6 अंकों के साथ ऐसा दूसरा राज्य है जो चिंता बढ़ा रहा है।
- उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर 2.7 पर जरूर है, लेकिन इसने पिछले नौ साल में 1.1 अंक की देश की सबसे तेज रफ्तार कमी ला कर उम्मीद भी जगाई है। जबिक बिहार में इस दौरान सिर्फ 0.6 अंकों की कमी ही लाई जा सकी।
- बिहार में परिवार नियोजन सेवा में जरूरी विकास नहीं हो सका है। अब तक सिर्फ 23 फीसद विवाहित महिलाओं तक ही आधुनिक परिवार नियोजन साधन पहुंच पा रहे हैं। जबिक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहुंच दोगुने से ज्यादा है।"
- "परिवार नियोजन एक जिटल सामाजिक विषय है। विशेष तौर पर बिहार को समझने की कोशिश करनी होगी कि यहां इसकी पहुंच कैसे बढ़ाई जाए। यह उपलब्धता का मामला है, या गुणवत्ता और लोगों की पसंद से जुड़ा है। सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझ कर इसकी ज्यादा सघन तैयारी करनी होगी।"
- बिहार को ले कर विशेषज्ञ इसलिए भी ज्यादा चिंता जता रहे हैं, क्योंिक यह लंबे समय से विशेष राज्यों या ईएजी (एंपावर्ड एक्शन ग्रुप) में शामिल होने की वजह से केंद्र की शीर्ष प्राथमिकता में है।

3. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे : महिलाओं के वित्तीय समावेशन में वृद्दि

- नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाओं ने वित्तीय मामलों में लंबी छलांग लगाई है।
- 53 प्रतिशत महिला आबादी के पास अब बैंक अकाउंट है। एक दशक पहले यह आंकड़ा केवल 15 प्रतिशत था।
- इस स्टडी में खुलासा हुआ कि महिलाओं के बचत खातों की संख्या, घर खरीदने और घरेलू मामलों में फैसला लेने में बढ़ोत्तरी हुई है।
- > इस डाटा में यह भी सामने आया कि शादीशुदा महिलाओं के साथ हिंसा में भी कमी आई है।
- वैवाहिक जीवन में हिंसा झेल रही महिलाओं का प्रतिशत 37.2 से घटकर 28.8 प्रतिशत हो गया है।
- सर्वे में यह भी पता चला कि गर्भावस्था के दौरान केवल 3.3 प्रतिशत को ही हिंसा का सामना करना पड़ा। यह सूचक बताता है कि जागरूकता और सामाजिक सुधार बढ़ा है
- बैंक अकाउंट वाली महिलाओं में 38 प्रतिशत छलांग के साथ यह भी सामने आया है कि 15 से 49 साल की उम्र में 84 प्रतिशत शादीशुदा महिलाएं घरेलू फैसलों में हिस्सा ले रही है। इससे पहले 2005-06 में यह आंकड़ा 76 प्रतिशत था।
- डाटा में पता चलता है कि 38.4 प्रतिशत मिहलाएं अकेली या किसी के साथ संयुक्त रूप से घर या जमीन की मालिकन हैं।

4. जनसांख्यिकी : जापान और भारत के मध्य तुलनात्मक आंकड़े

- भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से है, जबिक जापान सबसे बूढ़ा देश है. जापान की कुल आबादी करीब 12 करोड़ 70 लाख है, और इसमें से 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 3 करोड़ 41 लाख है, जो कुल जनसंख्या का करीब 27 प्रतिशत है. ऐसा अनुमान है कि 2050 तक जापान की करीब 36 प्रतिशत आबादी बूढ़ी होगी. और वर्ष 2060 आते आते जापान की 40 प्रतिशत आबादी बूढ़ी होगी. जापान में 2010 से लेकर 2015 तक के बीच 5 वर्षों में जनसंख्या में करीब 10 लाख की कमी आई है.
- इसकी वजह ये है कि जापान में बच्चों की जन्म दर बहुत गिर गई है. इसी का एक प्रभाव ये है कि वहां बुजुर्गों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है. जापान में 1995 में एक घर में औसतन 2.82 यानी कम से कम दो लोग रहते थे, 2015 में ये औसत घटकर 2.39 हो गया. जबिक भारत में एक घर में औसतन 4.8 यानी कम से कम 4 लोग रहते हैं. इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में करीब 5 करोड़ 20 लाख लोग ऐसे हैं, जो अकेले हैं. ये पूरी जनसंख्या का साढ़े 32 प्रतिशत है.
- जापान में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के 32 प्रतिशत पुरुषों ने शादी ही नहीं की है, जबिक जापान की 23 प्रतिशत महिलाओं ने कभी भी शादी नहीं की. इसीलिए जापान में बच्चे कम हैं और बूढ़े ज्यादा.
- लेकिन बहुत जल्द जापान वाली ये समस्या भारत में भी आने वाली है. भारत में अभी सिर्फ साढ़े 8 प्रतिशत बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन 2050 तक भारत की कुल आबादी के 19 प्रतिशत लोग बूढ़े हो जाएंगे. इसलिए भारत को भी आने वाले वक्त में इसके लिए तैयार रहना चाहिए.

5. विशाखा केस के 20 साल बाद महिलाएं कितनी आजाद

#Business StandardEditorial

Background:

उच्चतम न्यायालय ने 1997 में सुनाए अपने फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ की परिभाषा तय करने और इससे निपटने के दिशानिर्देश तय करने के साथ ही स्त्री-पुरुष समानता के लिए नया आधार तैयार किया था।

विशाखा और उसके बाद

सवाल यह है कि इस फैसले के 20 साल बीतने के बाद इसकी विरासत का आकलन किस तरह किया जाएगा? हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने वाले गैरसरकारी संगठन के नाम पर चर्चित विशाखा केस में आए फैसले ने विभिन्न कारणों से महिला अधिकारों को सशक्त तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह मामला राजस्थान में जमीनी स्तर पर काम करने वाली एक महिला कार्यकर्ता के साथ हुए सामूहिक बलात्कार से जुड़ा था। उसने बाल विवाह रोकने की कोशिश की थी जिससे गुस्साए अगड़ी जातियों के लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था।

विशाखा केस और न्यायालय के विचार

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन से संबंधित निर्देश जारी करने के साथ ही कहा था कि समाज के भीतर कितनी गहराई तक स्त्री जाित के प्रित विद्वेष है, भारत का औसत कार्यस्थल बुरी तरह से स्त्री-विरोधी है। विशाखा केस में कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीडन को इस तरह से परिभाषित किया गया था कि उसमें भारतीय दंड संहिता की तीन धाराओं का जिक्र था। खास बात यह है कि सहकर्मियों के लंपट व्यवहार को भी उत्पीडन के इस दायरे में शामिल किया गया था। अब उत्पीडन का मतलब केवल शारीरिक संपर्क तक ही सीमित नहीं रहा था।
- कामकाजी संगठनों के लिए यह स्पष्ट निर्देश था कि महिलाओं के उत्पीडन की शिकायतों पर त्विरत कार्रवाई के लिए उन्हें एक सिमित बनानी होगी। उस सिमित की प्रमुख एक महिला ही होगी और कम-से-कम आधे सदस्यों का भी महिला होना अनिवार्य कर दिया गया। इस फैसले की पथप्रदर्शक प्रवृत्ति के चलते मीडिया ने इसे प्रमुखता से जगह दी थी लेकिन उसके बाद तमाम प्रावधानों एवं दिशानिर्देशों का छोटे-बड़े संगठनों ने उल्लंघन करना शुरू कर दिया।

<u>कार्यान्वयन</u> GENERAL STUDIES HINDI

इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं होने से यह मुद्दा कभी भी भारत के कार्यस्थलों के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं बन पाया। विडंबना है कि स्त्री-पुरुष भेदभाव के आरोप बढ़ने का भी इस सुस्त प्रतिक्रिया में कुछ योगदान रहा है। दरअसल विरष्ठ पदों पर महिलाओं की सीमित मौजूदगी के चलते उत्पीडन की शिकायतों पर भरोसेमंद कार्रवाई का अभाव रहा है। भारत के पुरुष वर्चस्व वाले कारोबारी जगत में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीडन का मसला कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। तमाम उद्योग मंडलों के प्रमुख निवेशकों के समक्ष भारत को सर्वाधिक तेजी से विकास कर रहे देश के तौर पर पेश करते हैं लेकिन उन्होंने अपने सदस्य संगठनों को महिलाओं के लिए हालात अनुकूल बनाने के बारे में प्रेरित नहीं किया है। इन्फोसिस ने वर्ष 2002 में यौन उत्पीडन के आरोपों पर अपने शीर्ष अधिकारी फणीश मूर्ति को हटा दिया था लेकिन वह महज अपवाद बनकर ही रह गया।

संसद की जिम्मेदारी

संसद को भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने में 16 साल का लंबा वक्त लग गया। वर्ष 2012 के अंतिम दिनों में एक पैरा-मेडिकल छात्रा की सामूहिक बलात्कार के बाद नृशंस तरीके से हत्या कर दिए जाने के मामले को लेकर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में हुए व्यापक प्रदर्शनों के बाद संसद ने बेहद तेज गति से इससे संबंधित कानून को पारित किया। उसमें बलात्कार से संबंधित प्रावधानों को सख्त करने के साथ ही कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन को भी काफी विस्तार से परिभाषित किया गया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीडन (निषेध, निवारक एवं निपटान) अधिनियम, 2013 ने विशाखा दिशानिर्देशों की जगह ले ली। खास बात यह है कि विशाखा केस पर फैसला सुनाने वाले न्यायमूर्ति वर्मा ने इस कानून की भी रूपरेखा तय करने में अहम भूमिका निभाई थी।

इस अधिनियम ने कार्यस्थल पर उत्पीडन के दायरे को व्यापक करने के साथ ही शिकायत सुनवाई सिमिति की शिक्तयों को भी सुस्पष्ट किया है और एक निश्चित आकार वाले संगठनों को कार्यस्थल पर लैंगिक-संवेदनशीलता सुनिश्चित करने को कहा है। इसमें संगठनों को अपने सालाना रिपोर्ट में उत्पीडन के मामलों का भी विवरण देने को कहा गया है। इस कानून के वजूद में आने के बाद महिला कर्मचारियों का भरोसा बढ़ा है और वे खुलकर अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत दर्ज कराने लगी हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में निफ्टी सूचकांक में शामिल शीर्ष 50 कंपनियों में यौन उत्पीडन के मामलों में 26 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2014 की तुलना में 2015 के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के मामलों में 50 फीसदी बढ़ोतरी होने की बात कही है।

निष्कर्ष

बावजूद इसके बलात्कार की तरह यौन उत्पीडन के मामलों की भी रिपोर्ट वास्तविक संख्या से काफी कम होती है। इंडियन बार एसोसिएशन का सर्वे में कहा गया है कि करीब 70 फीसदी महिलाएं अपने विरष्ठ अधिकारियों की प्रताडना के डर से उत्पीडन की शिकायत ही नहीं करती हैं। शिकायतकर्ता महिला को संगठन के भीतर अलग-थलग कर देने से भी पीडि़त महिलाएं सामने आने से हिचकती हैं। इन कानून को ठीक से लागू नहीं करने पर केवल 50,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है जो काफी नरम है। कई आईटी और मीडिया कंपनियों में महिला कर्मचारियों की अच्छी संख्या के बावजूद उनके यहां शिकायत समितियां तक नहीं बनी हैं। इतना जरूर है कि विशाखा केस ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन के जिस मसले को आवाज दी थी उसे अब मुख्यधारा के विमर्श में जगह मिल चुकी है। टेरी, तहलका, इन्फोसिस और इंडियन होटल्स में उठे विवाद इसकी बानगी भी पेश करते हैं। भारत के सुस्त सामाजिक विकास को देखते हुए यह उपलब्धि भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

<u>6. 'नेशनल हेल्थ पॉलिसी' : सबका होगा फ्री इलाज, स्वास्थ्य नीति को कैबिनेट की मंजूरी"</u>

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के जिरए देश में 'सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं' मुहैया कराने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथिमक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को बढ़ाती है और एक विस्तृत रुख का रास्ता तैयार करती है. 'उदाहरण के तौर पर - अब तक पीएचसी सिर्फ टीकाकरण, प्रसूति-पूर्व जांच एवं अन्य के लिए होते थे. लेकिन अब बड़ा नीतिगत बदलाव यह है कि इसमें गैर-संक्रामक रोगों की जांच और कई अन्य पहलू भी शामिल होंगे.' जानिए महत्वपूर्ण बातें

1. नयी नीति के तहत जिला अस्पतालों के उन्नयन पर ज्यादा जोर दिया जायेगा. पहली बार इसे अमल में लाने की रुपरेखा तैयार की जाएगी.

- 2. अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी. विशेषज्ञों से इलाज के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी. स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी.
- 3. व्यापक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत माता और शिशु मृत्यु दर घटाने के साथ-साथ देशभर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और रोगों की जांच के सभी साधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी.
- 4. स्वास्थ्य के क्षेत्र में :- डिजिटलाइजेशन पर भी जोर दिया जाएगा. प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए खास लक्ष्य तय किये जायेंगे. सरकार अपना ध्यान प्राथमिक चिकित्सा को मजबूत बनाने पर लगायेगी.
- 5. जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण सें अलग किया जाएगा और इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के आधार पर प्राइवेट पार्टी को भी शामिल किया जाएगा.
- 6. व्यापक बदलाव के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का दायरा बढ़ाया गया है. जिला अस्पतालों के उन्नयन पर विशेष जोर दिया जाएगा. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी आधुनिकीकरण किया जायेगा. सभी जिला अस्पतालों को हाईटेक बनाया जायेगा.
- 7. नयी पॉलिसी में सरकार का लक्ष्य **है कि देश के 80 फीसदी लोगों** का इलाज पूरी तरह सरका**री** अस्पातल में मुफ्त हो. इसमें दवा, <mark>जांच और इलाज भी शामिल होंगे</mark>.
- 8. नयी स्वास्थ्य नीति को मानना रा<mark>ज्यों के लि</mark>ए अनिवार्य नहीं होगा. बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबा<mark>माहेल्थ के</mark>यर स्कीम से काफी प्रभावित थे और मौजूदा पॉलिसी में उससे कुछ इनपुट लिये गये हैं.

7. <u>नौकरी के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति</u>

#Business Standard Editorial

Some facts:

- देश के सबसे बड़े बैंक में शुरुआती स्तर पर 33 फीसदी महिला कर्मचारी हैं। अलबत्ता शीर्ष प्रबंधन स्तर पर यह संख्या महज 4 फीसदी
- आईसीआईसीआई ग्रुप द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक किनिष्ठः प्रबंधन स्तर पर जितने कर्मचारी नौकरी छोड़ते हैं उनमें महिलाओं की संख्या उनके प्रतिनिधित्व से दो फीसदी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस स्तर पर महिलाओं की संख्या 25 फीसदी है जबिक नौकरी छोडऩे वाले कर्मचारियों में उनकी संख्या 27 फीसदी है। इससे ऊपरी स्तर पर उनकी आपूर्ति लाइन प्रभावित होती है।

An analysis:

- बैंक में माध्यमिक प्रबंधन स्तर पर भी महिलाओं के नौकरी छोड़ने की दर इसी अनुपात में है। ऐसा इसलिए है क्योंिक किनेष्ठः प्रबंधन स्तर पर अधिकांश महिलाओं की उम्र 26 से 30 के बीच होती है। यह वह उम्र होती है जब उनकी शादी होती है और वे परिवार शुरू करती हैं। अध्ययन में कहा गया है कि इस स्तर पर महिलाओं के नौकरी छोड़ने की दर दो फीसदी ज्यादा होने के बीच यही एकमात्र नहीं हो सकता है लेकिन यह स्पष्टः है कि यह एक अहम कारण है।
- विश्व बैंक के मुताबिक भारत के कामगारों में केवल एक चौथाई ही महिलाएं हैं जो दुनिया के औसत 50 फीसदी से बहत कम है।
- देश की कामकाजी महिलाओं में करीब 63 फीसदी खेतों में काम करती हैं। कृषि क्षेत्र के इतर दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी 20 फीसदी से भी कम है। वास्तव में परेशान करने वाली

तस्वीर है। पिछले कुछ दशकों से शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है लेकिन करीब 78 फीसदी पात्र स्नातक महिलाएं संगठित कार्यबल का हिस्सा नहीं बनती हैं। ये वे महिलाएं होती हैं जो केवल सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, न कि संगठित कार्यबल में भागीदार बनने की इच्छा के कारण। यही कारण है कि अधिकांश स्तरों पर महिलाओं के नौकरी छोड़ने की स्थिति में उनकी जगह पुरुषों को ही रखा जाता है।

इस पारंपरिक सोच में शायद ही कोई सच्चाई है कि देश के शहरी इलाकों में महिलाओं के लिए स्थिति बेहतर है।

- उदाहरण के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (68वां दौर) के मुताबिक 2011-12 में ग्रामीण इलाको में प्रत्येक 100 महिलाओं में से 24.8 काम करती हैं। पुरुषों के मामले में यह संख्या 54.3 थी।
- शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम थी। वहां प्रत्येक 54.6 फीसदी कामगार पुरुषों पर केवल 14.7 कामकाजी महिलाएं थीं।

इसके बहुत कारण हैं:

- महिलाओं को महिला होने के कारण कुछ नौकरियों में नजरअंदाज किया जाता है और उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता है।
- कार्यस्थलों पर उनके साथ कई तरह से भेदभाव होता है।
- कंपनियों का कहना है कि पुरुषों एवं महिलाओं के वेतन में अंतर इसलिए मौजूद है क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी काम और परिवार के बीच बंटी होती है
- । महिलाओं को परिवार पर ध्यान देने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है। जब तक वे फिर से नौकरी पर लौटती हैं तब तक गाड़ी उनके हाथ से निकल चुकी होती है।

ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं कि अनुभवी होने के बाद करियर के मध्य में महिलाओं के स्वैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ने की दर पुरुषों से दो से तीन गुना ज्यादा होती है। लेकिन महिलाओं के साथ नौकरी के किसी भी स्तर पर भेदभाव हो सकता है। भर्ती से लेकर, पारिश्रमिक, व्यावसायिक पृथक्करण और छंटनी तक। महिलाओं और पुरुषों की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने की प्रवृत्ति होती है और वे एक ही व्यावसायिक समूह में अलग-अलग पदों पर काम करते हैं। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा सीमित काम दिया जाता है और उनके पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम काम करने की ज्यादा संभावना होती है। प्रोन्नति और करियर विकास में भी उन्हें कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

8. केंद्र सरकार का नया नियम, यौन शोषण की शिकार महिला कर्मचारी को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव

- डीओपीटी ने इस संबंध में हाल में सेवा नियमावली में बदलाव किया है, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए नया नियम लाया गया है
- इसके तहत अगर महिला कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराती है तो पीड़ित महिला कर्मचारी को 90 दिन की वैतनिक अवकाश (पेड लीव) मिल सकता है।
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में हाल में सेवा नियमावली में बदलाव किया है। हालांकि यह विशेष अवकाश तभी तक जारी रहेगी जब तक मामले की जांच की जा रही है।
- नए नियम में कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम-2013) के तहत जांच लंबित रहने तक पीड़ित सरकारी महिला कर्मचारी को 90 दिन तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है।

- यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि यौन उत्पीड़न का आरोपी पीडित को धमकाने और जांच को प्रभावित करने की कोशिश करता है
- यह विशेष अवकाश तभी मिलेगा जब इस तरह के मामलों को देखने वाली स्थानीय कमेटी या आंतरिक कमेटी इसकी सिफारिश करती है। ऐसे ममालों में पीड़ित महिला आंतरिक कमिटी की सिफारिश के आधार पर स्पेशल लीव दी जाएगी और आरोपों की जांच के लिए एक स्थानीय कमिटी का गठन किया जाएगा
- पीड़ित महिला को दी गई छुट्टियां उसके खाते की छुट्टियों से नहीं काटी जाएंगी। ये छुट्टियां पहले से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के अलावा होंगी
- दिसंबर 2016 में डीओपीटी ने कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं के मामलों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके तहत 30 दिनों में केस की जांच पूरी करने की बात कही गई थी। यह भी कहा गया था कि किसी भी सूरत में शिकायत किए जाने के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए
- > इस संबंध में सभी मंत्रियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समक्ष मासिक रिपोर्ट सौंपनी होगी, ताकि मामले की कार्रवाई पर नजर रखी जा सके।

9. नार्वे दुनिया का सबसे खुशहाल देश, दक्षिण एशिया का सबसे दुखी देश भारत

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में नॉर्वे दुनिया का सबसे खुश देश घोषित किया
 गया है. पिछले साल डेनमार्क इस लिस्ट में पहले नंबर पर था.
- द वर्ल्ड हैप्पिनेस रिपोर्ट' के मुताबिक, किसी देश की खुशहाली जानने का पैमाना समाजिक सुरक्षा, रहन-सहन और न्याय अहम है.
- ★ खुशी मापने के तरीकों में आर्थिक विकास, सामाजिक सहायता, जिंदगी अपने ढंग से जीने की आजादी, औसत उम्र, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे कई कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है.
- इस साल की लिस्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड दुनिया के पांच सबसे खुशहाल देश हैं.
- वहीं इस रिपोर्ट में केंद्रीय अफ्रीका को दुनिया का सबसे दुखी देश बताया गया है.

दक्षिण एशिया में सबसे दुखी देश भारत

GENERAL STUDIES HINDI

- इस लिस्ट में भारत 122वें स्थान पर है, जबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान क्रमशः 80वें, 110वें, 99वें और 97वें पर हैं. लंबे वक्त से गृहयुद्ध की मार झेल रहा सीरिया 152 वें स्थान पर है, जबिक यमन और सूडान जहां अकाल जैसे हालात है, उन्हें 146 और 147 वें नंबर पर रखा गया है.
- संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ल्ड हैप्पिएस्ट डे 20 मार्च को मनाया जाता है. इस बार संयुक्त राष्ट्र के खुशहाल देशों की लिस्ट भी उसी दिन जारी की गई है.
- इसके तहत हर साल दुनिया के डेढ़ सौ देशों में 1000 इंसानों से मनोवैज्ञानिक प्रकृति के सवाल किए जाते हैं.
- > इस बार एक सवाल यह भी पूछा गया था कि आखिर अमेरिका में स्थायी आर्थिक विकास के बावजूद भी सुख का स्तर कम क्यों होता जा रहा है.
- > इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों का कहना है कि अमेरिका में सिर्फ आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन खुश रहने के लिए सिर्फ ये वजह काफी नहीं है.

10. Case Study : गर्ल ट्रैफिकिंग की 135 कोशिश नाकाम कर बच्चों की मसीहा बनी अनोआरा खातून

- 11 साल की एक बच्ची ने बहुत बड़ा सपना देखा था-बाल श्रम, बाल विवाह और कन्या तस्करी मुक्त समाज का। अपने सपने को साकार करने में वह पिछले एक दशक से जुटी हुई है। उसने अब तक 50 बाल विवाह रोके हैं, कन्या तस्करी की 135 कोशिशों को नाकाम किया है और 180 बच्चों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर उनके अपनों से मिलाया है। इसके अलावा 400 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। इतने सारे असाधारण कार्य अनोआरा खातून ने किए हैं, जो अब 21 साल की हो चुकी है।
- अनोआरा को बच्चों की मसीहा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी मेहनत, लगन और हढ़ निश्चय की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक दाद दे चुके हैं। इस साल आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अनोआरा को राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उसे अपने हाथों से पुरस्कृत कर चुकी हैं। देश ही नहीं, विदेश में भी अनोआरा के कार्यों को खूब सराहा गया है। उसे बाल अधिकारों से जुड़े मसलों पर वक्तव्य रखने के लिए एक नहीं, दो-दो बार (2015 व 2016) न्यूयॉर्क में आयोजित हुई युनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीट में आमंत्रित किया जा चुका है। इससे पहले अनोआरा 2014 में ब्रूसेल्स में बाल अधिकारों पर हुए अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है।

बाल सैनिकों की बड़ी फौज की सेनापति

- पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के अजगारा गांव की रहने वाली अनोआरा के पास 1,500 बाल सैनिकों की एक बड़ी फौज है। वह अकेले 80 बाल समूहों का नेतृत्व करती है। प्रत्येक समूह में 15-20 बच्चे शामिल हैं।
- इन समूहों का काम बाल श्रम, बाल विवाह व कन्या तस्करी रोकना एवं बच्चों को स्कूल भेजना है।
- बेहद गरीबी में पैदा हुई और पली-बढ़ी अनोआरा का जन्म ऐसी जगह पर हुआ, जहां कन्या तस्करी, बाल श्रम और बाल विवाह कभी आम बात हुआ करती थी।
- अनोआरा जब महज पांच साल की थी, उसके वालिद (पिता) का इंतकाल हो गया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की मदद करने के लिए उसे 11 साल की छोटी सी उम्र में दिल्ली जाकर दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। आंखों के सामने बाल शोषण होता देख उसे रोकने के इरादें ने जन्म लिया, जो समय के साथ मजबूत होता गया। अनोआरा काम छोड़कर अपने गांव लौट आई और बाल शोषण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी।

International Relation& International events

1. भारत-रवांडा संबंध : तीन समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और रवांडा ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में किगाली में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और मुंबई की सीधी उड़ान की शुरूआत शामिल हैं।

- दोनों पक्षों ने उपराष्ट्रपित हामिद अंसारी और खांडा के प्रधानमंत्री नासतासे मुरेकेजी की मोजूदगी में भारत-खांडा कारोबार मंच में तीन सहमित पत्रों पर दस्तखत किए। अंसारी खांडा और युगांडा की पांच दिन की अपनी यात्रा के क्रम में यहां हैं।
- 🕨 पहले समझौते में रवांडा में एक उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

- 🕨 यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच के रिश्तों को और भी प्रगाढ़ करेगा
- » और इस क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता की साझेदारी करेगा। 'केन्द्र का वित्तपोषण भारत करेगा और हम उन्हें मार्गनिर्देश भी देंगे..यह इस पूर्व अफ्रीकी देश के साथ हमारे सहयोग को और भी बढ़ावा देगा।'
- दो अन्य सहमित पत्रों में भारत के लिए खांडा की सरकारी कंपनी 'खांडएयर' की उड़ानों के संचालन का प्रावधान किया गया है। इसमें दोनों देशों के राजनियक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारक यात्रियों के लिए वीजा कानूनों को आसान बनाने का भी प्रावधान किया गया है।
- किगाली से मुंबई के लिए सीधी उड़ान अप्रैल की शुरूआत में यथार्थ में बदलने की उम्मीद है। ये सहमित पत्र भारत के साथ आर्थिक और कारोबारी रिश्तों को मजबूत करेंगे।
- > 54 साल से अच्छे द्विपक्षीय रिश्ते : रवांडा और भारत के बीच अहम संबंध हैं इसे और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

2. मालदीव, सऊदी अरब को बेचेंगा अपना द्वीप : भारत की चिंता बढ़ी

मालदीव के एक फैसले ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। मालदीव ने 26 अटॉल में से एक फाफू (टापू) को सऊदी अरब को बेचने का फैसला किया है। सरकार के फैसले का विरोध करते हुए वहां के विपक्षी दलों का कहना है कि इससे वहाबी विचारधारा को और मजबूत होने का मौका मिलेगा, जिससे मालदीव में आतंकवाद का प्रचार-प्रसार हो सकता है। वर्ष 2015 में मालदीव सरकार ने एक फैसला किया जिसके तहत विदेशी नागरिक जमीन खरीद सकते हैं।

- मालदीव सरकार ने 2015 में एक संवैधानिक संशोधन के जिरए विदेशियों को जमीन बेचने की मंजूरी दी। मालदीव ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा नहीं हुआ है। मालदीव के इस कदम पर भारत सरकार का मानती रही है कि ये उनका आंतरिक मामला है लिहाजा दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब मालदीव में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भारत सरकार कोई औपचारिक प्रतिक्रिया दे सकती है।
- एमडीपी के मुखिया और पूर्व राष्ट्रपित मोहम्मग नशीद मौजूदा वक्त में लंदन में निर्वासन में रह रहे हैं। वो अगले साल होने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे। मोहम्मद नशीद पहले ही कह चुके हैं कि मालदीव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके ये भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। हाल ही में विदेश राज्यमंत्री एम जे अकबर ने माले का दौरा किया था और कहा कि भारत हमेशा से ये चाहता रहा है कि मालदीव में शांति और स्थिरता कायम रहे।
- मुख्य विपक्षी दल एमडीपी का कहना है कि सऊदी अरब के दबाव में मालदीव ने इरान से 41 साल पुराना संबंध तोड़ दिया। सऊदी सरकार हर वर्ष 300 विद्यार्थियों को स्कॉलरिशप देती है जो वहाबी विचार को मानते हैं, मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति यामीन सऊदी अरब से इस्लामिक शिक्षक लाकर स्कूलों को मदरसों में बदलना चाहते हैं।

3. सिंधु जल समझौते की पूरी कहानी, एक बार फिर भारत-पाक बातचीत के लिए बैठक करेंगे

विश्व बैंक की मध्यस्था के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ है. उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयुब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे.

=>क्या है सिंधु जल समझौता

- सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जिन बातों पर सहमित बनीं उनमें तीन पूर्वी निदयों ब्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत के पास होगा और तीन पश्चिमी निदयों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिये जाने पर बात बनी.
- पाकिस्तान के नियंत्रण वाली निदयों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है. ऐसे में जल के नियंत्रण को लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा. हालांकि संधि के बाद अभी तक कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच जलयुद्ध नहीं हुए.
- संधि के अनुसार भारत को पाकिस्तान के नियंत्रण वाली निदयों के जल का उपयोग सिंचाई, पिरवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमित है. इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है.

=>कहां शुरू हुआ विवाद

- सीमा पार से आतंकवादियों के घुसपैठ और हमले से त्रस्त भारत ने उरी सेक्टर पर हुए आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया. इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तानाबूत कर दिया. साथ ही कई आतंकवादियों को भी ठिकाने लगाये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी हमले समेत आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में संधि की समीक्षा करने के लिए सितंबर में एक बैठक बुलायी थी और कहा था कि 'खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते.' पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सिंधू नदी के पानी पर आश्रित है.
- अगर किसी भी परिस्थिति में भारत सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से रोक दे वहां जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी. भारत-पाकिस्तान के बीच हुए तीन बड़े युद्धों के बाद भी सिंधु जल समझौते पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुए. एक बार 2002 में भारतीय संसद में सिंधु जल समझौते की समीक्षा की बात उठी थी, लेकिन कुछ विशेष परिणाम नहीं निकल पाये.

सिंधु के जल से पाकिस्तान को फायदा

- सिंधु नदी के 80 फीस<mark>दी जल का</mark> इस्तेमाल पाकिस्तान की ओर से किया जाता है. सिंधु नदी का इलाका करीब 11 लाख 20 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. ये नदी तिब्बत से निकलती है और कराची और गुजरात के पास अरब सागर में जाकर मिल जाती है. इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है. GENERAL STUDIES HINDI
- इसमें से 47 प्रतिशत पाकिस्तान, 39 प्रतिशत भारत, 8 प्रतिशत चीन और करीब 6 प्रतिशत अफगानिस्तान में है. एक आंकड़े पर नजर डाले तो करीब 30 करोड़ लोग सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में रहते हैं. यानी सिंधु नदी इन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी से जुड़ी है.
- पाकिस्तान ने कई बार भारत पर सिंधु जल समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है. लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि पाकिस्तान की ओर से पीओके में सिंधु नदी पर कई परियोजनाओं को अंजाम दिया है. भारत ने हमेशा सिंधु जल समझौते का पालन किया है. लेकिन पाकिस्तान कई बार इन नदियों पर भारत द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं पर सवाल उठाता रहा है.

भारत ने कभी भी समझौता तोड़ने के नहीं दिए स्पष्ट संकेत

 भारत की ओर से कभी भी इस बात के स्पष्ट संकेत नहीं दिये गये कि सिंधु जल समझौते को समाप्त कर दिया जायेगा. पिछले साल भी एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने कहा था कि ऐसी किसी संधि पर काम के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि संधि की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि यह 'सद्भावना' पर आधारित है. फिर पूछे जाने पर

- कि भारत इस संधि को खत्म करेगा, तो उन्होंने कोई ब्योरा नहीं दिया. सिर्फ इतना कहा कि कूटनीति में सब कुछ बयां नहीं किया जाता.
- दूसरी ओर सिंधु जल पर भारत के रुख से घबराकर पाकिस्तान ने विश्व बैंक से हस्तक्षेप की बात की है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने विश्व बैंक अध्यक्ष जिम कोंग किम को भेजे पत्र में कहा था कि संधि में इस बात का साफ उल्लेख है कि दोनों देशों को समझौते का पालन करना चाहिए.

होने वाली बैठक में क्या होंगे मुद्दे

- सिंधु जल समझौते पर विचार के लिए एक बैठक आयोजित की जा सकती है. पिछली बैठक के अधिकारियों ने घोषणा की थी कि सरकार ने आगे बातचीत निलंबित करने का और जम्मू कश्मीर के रास्ते बहने वाली निदयों का इस्तेमाल संधि के तहत भारत के अधिकार का पूरी तरह उपयोग करने के लिए बढाने का फैसला किया है
- संधि के तहत जरुरी है कि भारत और पाकिस्तान की बैठक हर वित्त वर्ष में हो. अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह संधि का उल्लंघन होगा. इस महीने के तीसरे या चौथे सप्ताह में एक या दो दिन के लिए मिलेंगे. आयोग की पिछली बैठक जून 2015 में हुई थी. आयोग के सदस्य दोनों देशों के अधिकारी हैं. इसका गठन मुद्दों के समाधान के लिए 57 साल पुरानी संधि के तहत किया गया था. विवाद के मुख्य बिंदु (भारत में किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाएं) पहले ही विश्व बैंक के सामने है और आयोग की बैठक में इन पर चर्चा नहीं की जा सकती.
- विश्व बैंक की मध्यस्था के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ है. उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयुब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे.

4. डी हाइफनेशन (de-hyphenation) कूटनीति : मोदी सरकार ने बदली पॉलिसी, फिलिस्तीन नहीं, सिर्फ इजरायल जाएंगे पीएम

पीएम की जुलाई में इजरायल जाने की तैयारी है। यह किसी भारतीय पीएम का वहां पहला दौरा होगा। हालांकि, इस दौरान वह फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारत की पूर्व में अपनाई गई नीति से ठीक उलट है। इससे पहले, यह परंपरा रही है कि भारतीय राजनेता एक साथ दोनों पश्चिम एशियाई मुल्कों का दौरा करते रहे हैं।

- भारत द्वारा इजरायल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नई नीति को कूटनीतिक एक्सपर्ट डी हाइफनेशन (de-hyphenation) नाम देते हैं।
- अमेरिका के भारत और पाकिस्तान से रखे गए कूटनीतिक रिश्तों को इसके उदाहरण के तौर पर दिया जाता है। इसके तहत, पहले बुश और बाद में ओबामा शासन ने यह फैसला किया कि वह भारत और पाकिस्तान की आपसी तल्खी को नजरअंदाज करते हुए दोनों मुल्कों से रिश्तों को अलग-अलग तरजीह देगा।
- मोदी का यह दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है। <u>यह भारत के इजरायल के साथ अपने रिश्तों को खुलेआम स्वीकार करने जैसा है।</u> मोदी से पहले के प्रधानमंत्रियों ने इस रिश्ते को सहेजा तो सही, लेकिन वे उसका सार्वजनिक इजहार करने से परहेज करते नजर आए थे।

• हालांकि, मोदी सरकार ने इस मामले में संतुलन साधने की भी कोशिश की है। इसके तहत, भारत मोदी के इजरायल दौरे से पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अगवानी कर सकता है।

भारत और इजरायल दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाते हुए रमल्ला में टेक पार्क स्थापित करने की योजना है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में हैमबर्ग में जी20 सिमट से लौटते वक्त मोदी इजरायल जाएंगे। सरकार का मानना है कि इजरायल का दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों में खास गर्माहट लाएगा। इसी साल दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों की **सिल्वर जुबली** भी है।

इजरायल भी मानता है कि मोदी सरकार को उसके साथ रिश्तों के सार्वजनिक इजहार पर कोई गुरेज नहीं है। इजरायल के भारत में राजदूत डेनियल कार्मन ने कहा कि रिश्तों की 'हाई विजिबलिटी' की वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। पूर्व के तौरतरीकों को सबसे पहले तोड़ने का श्रेय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को जाता है, जिन्होंने 2014 में फिलिस्तीन न जाकर अपना दौरा सिर्फ इजरायल तक सीमित रखा। हालांकि, बाद में 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों ही मुल्कों का दौरा किया।

अभी तक क्या था रुख

भारत ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग रखा था। यह प्रस्ताव गाजा में अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और वहां हुई मौतों के लिए जिम्मेदारी तय करने को लेकर थी। भारत का यह फैसला फिलिस्तीन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। राजदूत अलहायजा ने भी भारत के फैसले को चौंकाने वाला बताया था। एक न्यूजपेपर ने उनके हवाले से लिखा था कि भारत का उसके 'पारंपरिक रुख' से विचलन इजरायल के साथ उसके गहराते सैन्य रिश्तों का नतीजा है। वहीं, भारत ने यह कहते हुए अपने फैसले का बचाव किया था कि प्रस्ताव में इंटरनैशनल क्रिमिनल कोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसका भारत सदस्य नहीं है।

5. सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत कुछ समय तक वीटो पावर छोड़ने को तैयार

In news:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो वह कुछ समय के लिए वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों .को छोड़ सकता है (किसी प्रस्ताव को रोकने या निषेध का अधिकार) .का रास्ता प्रशस्त करने के लिए भारत की ओर से यह पेशकश की गई है

- भारत ही नहीं सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी जता रहे जापान, जर्मनी और ब्राजील ने भी इसी तरह की पेशकश की है इस आशय का फैसला मंगलवार को इन देशों के प्रतिनिधियों . इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन .की एक बैठक में हुआ है ने संयुक्त बयान जारी किया करीब सभी सदस्य-इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के करीब . .देश सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहते हैं
- जी-4 सदस्यों भारत), ब्राजील, जर्मनी, जापानने कहा है (, 'हमें लगता है कि सुरक्षा परिषद में सिर्फ अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला इससे स्थायी . ऐसे में .और अस्थायी सदस्यों के बीच खाई और बढ़ ही जाएगी, हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का इसके अलावा कोई (वीटो पावर छोड़ने का)

- लि .और रास्ता नहीं हैहाजा, हम संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में इस नवाचार के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं'.
- 'नए स्थायी सदस्यों के पास अधिकार और दायित्व सैद्धांतिक रूप से तो पुराने सदस्यों की तरह ही होंगे, लेकिन वे अपनी वीटो पावर का तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक किसी मसले या निर्णय की गहन समीक्षा के बाद उस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता '.इन देशों ने साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि वीटो पावर एक अहम मुद्दा है', लेकिन सिर्फ इसी एक मसले को आधार बनाकर सुरक्षा परिषद के पुराने सदस्य इस अहम संस्था में सुधार की प्रक्रिया पर वीटो न लगाएं'.

6. ब्रिक्स ' से 'ब्रिक्स प्लस'

- चीन ब्रिक्स का विस्तार करके उसे .बनाना चाहता है 'ब्रिक्स प्लस'
- चीन के विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि इस साल सितंबर में वहां होने वाले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में उसे विकासशील देशों का सबसे प्रभावशाली मंच बनाने के लिए संगठन के विस्तार की कोशिश की जाएगी.
- » ब्रिक्स में अभी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं.
- अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार चीन के इस प्रयास को ब्रिक्स में भारत का प्रभाव कम करने की कोशिश मान रहे हैं.
- चीन में पाकिस्तान 'ब्रिक्स प्लस', श्रीलंका और मेक्सिको जैसे अपने करीबी देशों को शामिल कराना चाहता है ताकि इसमें उसका प्रभाव बढ़े इसलिए माना जा .रहा है कि भारत उसकी इस योजना का शायद ही समर्थन करे.
- चीन की इस योजना से सबसे ज्यादा भारत की संभावनाएं प्रभावित होंगी विस्तार के बाद यह . खो सकता है और हो सकता है कि तब यह विकास जैसे मुद्दों के बजाय 'फोकस' संगठन अपना इसलिए भा .चीन का राजनीतिक मंच बनकर रह जाएरत इस प्रस्ताव का विरोध कर सकता है.

7. शंघाई सहयोग संगठन : भारत-पाकिस्तान को शामिल करने से क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी

सन्दर्भ:- भारत और पाकिस्ता<mark>न को जून में</mark> एससीओ की सालाना बैठक में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की उम्मीद है

- छह सदस्यीय शंघायी सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत और पाकिस्तान को सदस्य बनाने से दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और आपसी मतभेदों को सुलझाने में मदद मिलेगी.
- दोनों देश एससीओ की सदस्यता पाने के लिए इसके समझौतों और संधियों का पालन करेंगे जिससे दोनों के संबंध में सुधार आएगा.
- 'एससीओ की सदस्यता पाने के लिए हमेशा लड़ने वाले भारत और पाकिस्तान को न केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे, बल्कि एससीओ के कानूनों का भी पालन करना होगा.
- इनमें सीमा रक्षा सहयोग समझौता भी शामिल होगा जिस पर एससीओ के सदस्य देशों ने 2015 में हस्ताक्षर किए थे.'
- एससीओ कानून के तहत यह भी प्रावधान है कि अगर सदस्य देशों के बीच टकराव आता है तो तीसरा देश मध्यस्थता कर सकता है.
- ऐसे में 'संभव है कि भारत एससीओ देशों के साथ बहुसदस्यीय समझौते को लेकर छूट की मांग करे, लेकिन भारत और पाकिस्तान को एससीओ के उन मूल सिद्धांतों का पालन करना होगा जो सुरक्षा और आतंकरोधी अभियान के लिए जरूरी है. यह दोनों को आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए एक नए मंच का काम करेगा.

SCO के बारे संक्षिप्त जानकारी :-

- एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है और चीन, कजािकस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकस्तान और उज्बेकिस्तान इसके स्थायी सदस्य हैं
- वहीं, अफगानिस्तान, बेलारूस, भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तानों का दर्जा निगरानीकर्ता देशों का है.
- > इस साल जून में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ की सालाना बैठक में भारत और पाकिस्तान को इसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की उम्मीद है.

8. UNSC में वीटो पॉवर क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका -इन 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेष शक्ति दी गई है, जिसे वीटो पावर कहते हैं।
- यानी संयुक्त राष्ट्र के किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर अगर कोई स्थायी सदस्य वीटो का इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव या निर्णय, माना नहीं जाता। उदाहरण के लिए चीन अपनी इसी शक्ति का इस्तेमाल बार बार आतंकी मसूद अजहर को बचाने के लिए करता है। मसूद अज़हर को बैन करने पर फैसला लेने वाली संयुक्त राष्ट्र की कमेटी में 5 स्थायी सदस्य देशों को मिलाकर कुल 15 देश शामिल थे। इनमें से 14 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। चीन के veto इस्तेमाल की वजह से 14 देशों की सहमति के बावजूद, अमेरिका का प्रस्ताव गिर गया।
- 9<u>. स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने पर</u> <u>सहमत</u>
 - एक करार के तहत स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने पर सहमत हो गया है
 - स्विट्जरलैंड कालेधन पर जानकारी देने को तैयार है लेकिन उसने साफ किया है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब सूचनाओं की गोपनीयता बरकरार रखी जाए .यदि ऐसा न किया गया तो वह सूचनाओं के आदान-प्रदान को रोक देगा .उसका तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सूचनाओं की गोपनीयता और सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है.
 - स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मामलों के विभाग ने बताया है कि यह तय करने की जरूरत है कि दी गई सूचनाओं का दुरुपयोग न हो .विभाग ने कहा है कि यदि इस शर्त का पालन किया जाता है तो उसे सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में कोई परेशानी नहीं होगी.
 - इससे पहले नवंबर, 2016 में हुए एक करार के तहत स्विट्जरलैंड सितंबर, 2018 से भारत को वित्तीय सूचनाएं देने पर सहमत हो गया था.
 - कालेधन के खतरों से निपटने की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के तहत वह अन्य देशों से भी सूचनाएं साझा करने वाला है .उसने पहली जनवरी 2017 से विभिन्न देशों के साथ सूचनाओं के स्वत : आदान-प्रदान के नियमों को प्रभावी बना दिया है.

10. भारत रूस राजनयिक संबंधों के-70 वर्ष पुरानी गर्माहट लाने की कोशिश :

क्या रूस दशकों पुराने अपने मित्र भारत के हितों को प्रभावित करने की शर्त पर चीन व पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा?

भारतीय प्रधानमंत्री एक जून से तीन जून तक रूस की यात्रा पर होंगे जहां वह दोनों देशों के राजनियक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

- पिछले वर्ष जब से रूस ने पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने पर भारत की आपित्तयों को नजरअंदाज किया था तभी से भारत सरकार रूस के साथ कूटनीतिक रिश्तों में नई गर्मजोशी लाने की कोशिश कर रही है।
- भारत सरकार ने रूस के साथ हथियार खरीदने के लंबित प्रस्तावों को न सिर्फ तेजी से मंजूरी दी बल्कि द्विपक्षीय आर्थिक कारोबार को बढ़ाने का नया प्रस्ताव भी तुरंत तैयार कर लिया। रूस की तरफ से भी संतोषप्रद प्रतिक्रिया मिली है।
- केंद्र सरकार नजाकत को समझ रही है तभी हर मंत्रालय को अपने स्तर पर रूस के साथ लंबित मामलों पर तेजी से फैसला करने को कहा गया है।

=>हकीकत बनेगी गैस पाइपलाइन

- पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत सरकार जिन देशों के साथ गैस पाइपलाइन पर बात कर रही है उसमें सिर्फ रूस के साथ ही सकारात्मक दिशा में बात आगे बढ़ी है। हाल ही में दोनों देशों ने अपनी तैयारियों का एक दूसरे से आदानप्रदान किया है।-
- > इस परियोजना पर पिछले वर्ष गोवा में ब्रिक्स बैठक के दौरान बातचीत हुई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि पिछले छह महीने के दौरान जो प्रगति हुई है उससे साफ है कि यह परियोजना संभव है। जल्द होने वाली मोदी व पुतिन की शीर्ष बैठक में इस मामले को और आगे ले जाने का रास्ता निकलने की उम्मीद है।

=>रक्षा के साथ कारोबार भी अहम

- भारत अब द्विपक्षीय रिश्तों को सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है बिल्क उसे व्यापक आयाम देना चाहता है। भारत द्विपक्षीय कारोबार को तेजी से बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा है जिस पर मोदी की रूस में बातचीत होगी।
- हाल ही में भारत व रूस ने इसके लिए एक अरब डॉलर का विशेष फंड बनाने का फैसला किया है। भारतीय रणनीतिकार रूस के साथ मौजूदा 10 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार को 10 वर्षों में 30 अरब डॉलर करने का खाका तैयार कर रहे हैं।

सहयोग के नये आयाम GENERAL STUDIES HINDI

- 1. रूस निर्मित एस-400 ट्रंफ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ले रहा है भारत
- 2. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाए जाएंगे 200 कामोव हेलीकॉप्टर, दूसरे देशों को भी होगा निर्यात
- 3. रूस जहाज निर्माण के लिए भारत में स्थापित करेगा विशेष संस्थान
- 4. द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाने के लिए बने फंड के इस्तेमाल की रणनीति बनेगी
- 5. गैस पाइपलाइन पर भी बात काफी आगे बढी

National Issues

भारत में मानव तस्करी तथ्य और वस्तुस्थिति :

- वर्ष 2016 में मानव तस्करी के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा। दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आया है। वर्ष 2016 में मानव तस्करी के कुल मामलों में 61 फीसदी मामले दोनों राज्यों के हैं। वर्ष 2016 में देश में इस तरह के 8,132 मामले दर्ज किए गए थे।
- इनमें पश्चिम बंगाल में 3,576 और राजस्थान में 1,422 मामले थे। राजस्थान के बाद गुजरात में 548 वहीं महाराष्ट्र में 517 मामले दर्ज किए गए।
- केंद्र शासित क्षेत्रों में मानव तस्करी के कुल 75 में अकेले दिल्ली के 66 मामले हैं। हालांकि 2015 की तुलना में राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे मामलों की संख्या कम हुई है। 2015 में दिल्ली में इस तरह के 87 मामले दर्ज किए गए थे।
- दक्षिणी राज्यों में सर्वाधिक मामले तमिलनाडु में 434 और इसके बाद कर्नाटक में 404 दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, नगालैंड, दादर एंव नागर हवेली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में मानव तस्करी का एक भी मामला सामना नहीं आया है।
- उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी के 79 और मध्य प्रदेश में 51 मामले दर्ज किए गए। बिहार में 43, ओडिशा में 84 और झारखंड में 109 मामले दर्ज किए गए।
- आंध्र प्रदेश में 239 और तेलंगाना में 229, जबिक केरल में 21 मामले दर्ज किए गए।
- मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश
 साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

2. मेंटल हेल्थकयर बिल पारित अब आत्महत्या अपराध नहीं बीमारी है :

अत्यंत तनाव में आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले और मानसिक रोगों के उपचार को केंद्रित बनाने के 'मरीज और समुदाय' के बजाय 'संस्थागत' रेख-प्रावधान वाले विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी। लोकसभा ने मानसिक स्वास्थ्य देख विधेयक, 2016 को मंजूरी दे दी जिसे राज्यसभा 8 अगस्त 2016 को पहले ही स्वीकृति दे चुकी है।

क्या कहता है मेंटल हेल्थ केयर बिल STUDIES HINDI

- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को सरकार द्वारा वित्त पोषित या वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार का उपयोग करने का अधिकार है। बिल मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए नि शुल्क उपचार का आश्वासन: देता है कि अगर वे बेघर या गरीब हैं, भले ही उनके पास गरीबी रेखा के नीचे का एक कार्ड नहो।
- "यह बिल राज्य को मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने के लिए मजबूर करता है और यह व्यक्ति को शक्ति देता है," उन्होंने कहा कि बिल में सेवा उपयोगकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दृष्टिकोण है। "केंद्रित-रोगी"
- विधेयक में यह भी बताया गया है कि मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को एक तरह से एक मानसिक बीमारी के लिए जिस तरह से देखभाल और इलाज किया जाना है, उसे निर्दिष्ट करने में एक अग्रिम निर्देश बनाने का अधिकार होगा।
- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक उन देखभालकर्ताओं की भूमिका को स्वीकार करता है, जिन्हें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य मानसिक

- स्वास्थ्य अधिकारियों या मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों के सदस्यों के नामित प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- आत्महत्या का खंडन करने वाली धाराओं में, बिल में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे गंभीर तनाव होने के लिए अनुमान लगाया जाना चाहिए, और उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जे पी नड्डा ने कहा, "आत्महत्या एक मानसिक बीमारी है, यह एक आपराधिक कृत्य नहीं होगा, यह दोषमुक्त होगा। यह गंभीर मानसिक तनाव के तहत किया जाता है," जे पी नड्डा ने कहा।
- मानिसक हेल्थकेयर विधेयक मानिसक रूप से बीमार लोगों को मानिसक स्वास्थ्य, मानिसक स्वास्थ्य देखभाल, उपचार और शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में गोपनीयता का अधिकार प्रदान करता है। व्यक्तियों से संबंधित फोटो या किसी भी अन्य जानकारी को मानिसक बीमारी वाले व्यक्ति की सहमित के बिना मीडिया को नहीं छोड़ा जा सकता है।
- सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय मानिसक स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित करेगी और हर राज्य में एक मानिसक स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित करेगी। मनोवैज्ञानिक, मानिसक स्वास्थ्य नर्सों और मानिसक स्वास्थ्यकर्मियों सिहत हर मानिसक स्वास्थ्य संस्थान और मानिसक स्वास्थ्य चिकित्सकों को इस प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना होगा।
- मानसिक बीमारी के साथ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अग्रिम निर्देशों का प्रबंधन करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- मानसिक हेल्थकेयर विधेयक के तहत, प्रावधानों का उल्लंघन करने की सजा छह महीने तक जेल में या 10,000 रुपये या दोनों के लिए आकर्षित होगी। ऐसा दोबारा करने पर अपराधियों को दो साल तक जेल या 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं।
- 2. भारत, जापान को पछाड़ बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट
 - घरेलू यात्रियों के मामले में भारत जापान को पछाड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है।
 - सिडनी के विमानन क्षेत्र के थिंक टैंक सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन की हालिया रिपोर्ट-में कहा गया है कि 2016 में भारत के घरेल विमानन यात्रियों की संख्या 10 करोड रही है।
 - अमेरिका इस मामले में 71.9 करोड़ यात्रियों की संख्या के साथ पहले स्थान और 43.6 करोड़ यात्रियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।
 - रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस मामले में जापान को पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। साल 2016 में वहां घरेलू यात्रियों की संख्या 9.7 करोड़ रही।
 - देश में घरेलू यात्रियों की संख्या 2015 और 2016 में 20-25 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इस साल जनवरी में ये बढ़ोतरी 25.13 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई। हालांकि, फरवरी में यह केवल 16 प्रतिशत रही।
- 3.<u>कौशल विकास के लिए (आईटीआई) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों :एक अलग बोर्ड का</u> गठन
 - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सरकार ने एक अलग बोर्ड के गठन का (आईटीआई) प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।
 - माना जा रहा है कि इसके अमल में आने से हर साल देशभर के 13 हजार से ज्यादा आईटीआई से पास होने वाले लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा।

क्या होंगे इस बोर्ड के कार्य :-

- यह बोर्ड इन संस्थानों की परीक्षाएं कराएगा और जिस तरह सीबीएसई जैसे बोर्ड 10वीं और 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं, वैसे ही यह बोर्ड भी इन संस्थानों की परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
- अर्थात प्रस्तावित आईटीआई बोर्ड सीबीएसई व आइसीएसई की तर्ज पर होगा और इसकी ओर से जारी प्रमाणपत्र इन दोनों बोर्डों की ओर से जारी प्रमाणपत्रों के समकक्ष ही होंगे।
- इस कदम से आईटीआई में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को भी फायदा मिलेगा जो अन्य स्कूलों और कॉलेजों में सामान्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं।

गत वर्षों में आईटीआई की मानक गुणवत्ता में गिरावट आई है। लेकिन आगामी दिनों में देश में खोले जाने वाले आईटीआई की गुणवत्ता केंद्रीय विद्यालयों और अन्य बेहतर गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण संस्थानों जैसी होगी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग को आईटीआई विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने और उनके लिए 10वीं और 12वीं के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा।

4. एशिया की सबसे लंबी टनल "चिनैनी-नाशरी" राष्ट्र के लिए समर्पित

- एशिया की सबसे लंबी चिनैनी नाशरी टनल उपयोग के लिए तैयार है। यह-2 अप्रैल को देश को समर्पित होगी.
- करीब नौ किलोमीटर लंबाई बाले इस टनल का निर्माण कार्य करीब साढ़े चार साल पहले शुरू हुआ था।
- > इस पर तीन हजार दो सौ करोड़ रुपये खर्च आए हैं। अपनी तरह का यह पहला टनल है और इसके निर्माण में विश्व की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है।
- कुल 19 किलोमीटर टनल का निर्माण किया गया है। नौ किलोमीटर मुख्य टनल के साथ साथ-नौ किलोमीटर ही एस्केप टनल और एक किलोमीटर क्रास पैसेज शामिल है।
- इस टनल के खुलने से चिनैनी से नाशरी तक का रास्ता 31 किलोमीटर कम हो जाएगा।

टनल की विशेषता

- 1. टनल की कुल लंबाई नौ किलोमीटर है, जो कि एशिया में सबसे लंबा टनल है।
- 2. अगर कोई दुर्घटना होती है तो टनल के साथ एस्केप टनल बनाया गया है। इस टनल से ही यात्रियों को बाहर निकला जाएगा।
- 3. टनल में आयल टैंकर या फिर गैस टैंकर को चलने की इजाजत नहीं होगी।
- 4. टनल के बीच एसओएस बनाए गए हैं। इनमें कोई भी समस्या आने पर यात्री तुरंत यहां बटन दबाकर कंट्रोल रूम को सूचित कर सकता है।
- 5. टनल पूरी तरह से मानव रहित होगा और इसका पूरा संचालन कंट्रोल रूम से होगा।
- 6. पर्यावरण को विशेष ध्यान रखा गया है। टनल के बाहर केवल स्वच्छ हवा ही जाएगी ताकि पर्यावरण प्रदूषित न हो।

- 7. टनल के आने और जाने का एक ही रास्ता है।
- 8. बारह हजार टन स्टील और पैंसठ लाख सीमेंट की बोरियां इस्तेमाल हुई हैं।

Editorials

1. निजी अस्पतालों की मुनाफाखोरी

#Editorial_Dainik_Tribune

भारत में स्वास्थ्य का हाल और हाल ही का सन्दर्भ

हमारे देश का स्वास्थ्य ढांचा यूं ही चरमराया हुआ है, ऊपर से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की महंगाई लोगों के लिए और मुसीबतें खड़ी करती रही है। हाल में दिल के मरीजों में लगाए जाने वाले स्टेंट की कीमत को लेकर हुआ है। इधर जब नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने ऐसी ही एक धांधली का खुलासा दिल की धमनियों में लगाए जाने वाले स्टेंट के बारे में किया, जिससे पता चला कि कैसे दवा कंपनियां, अस्पताल और डॉक्टर तक मरीजों को लूटने के लिए गोरखधंधे में वर्षों से लिप्त रहे हैं। एनपीपीए ने हाल में ही जानकारी दी थी कि स्टेंट की खरीददारी में सबसे ज्यादा मार्जिन अस्पतालों का होता है जो 650 फीसदी तक होता है। पर ऑपरेशन टेबल पर पड़े मरीजों और उनके तीमारदारों को भय दिखाकर स्टेंट जरूरी बताया जाता रहा है और उसे अनाप शनाप दामों पर बेचकर खासतौर से अस्पताल भारी-कमाई करते रहे हैं।

- एनपीपीए ने इस बारे <mark>में जारी</mark> अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टेंट की बिक्री में वितरकों का औसत मार्जिन 13 से 200 फीस**दी और** अस्पतालों का मार्जिन 11 से 654 फीसदी तक होता है।
- साफ है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में अस्पताल और कार्डियोलॉजिस्ट ही स्टेंट की कीमत तय करते हैं। एं
- जियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के वक्त वे मरीज के तीमारदारों को इसके लिए प्रेरित करते हैं कि वे धमनी की रुकावट दूर करने के लिए बढ़िया से बढ़िया स्टेंट डलवाएं

इन्हीं बातों के मद्देनजर एनपीपीए ने स्टेंट की मुनाफाखोरी रोकने के उपाय इधर हाल में घोषित किए हैं, जिनके मुताबिक अब यह जिम्मेदारी स्टेंट बनाने वाली कंपनी की ही होगी कि वह अपने हर विक्रेता को संशोधित मूल्य सूची उपलब्ध कराएगी और ज्यादा रकम वसूली का मामला पकड़े जाने पर संबंधित कंपनी को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

साथ ही एनपीपीए ने स्टेंट को अनिवार्य औषिध सूची में शामिल कर इसकी कीमत की अधिकतम सीमा भी तय की है। इसके अनुसार बेयर मेटल स्टेंट 7,623 रुपये, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट व बायोरिचार्जेबल स्टेंट 31,080 रुपये से ज्यादा कीमत में नहीं बेचे जा सकेंगे। पर इस पाबंदी का असर यह हुआ कि अस्पतालों से स्टेंट ही गायब हो गए। इसी से साबित होता कि कैसे अस्पताल और कंपनियां सिर्फ अपने मुनाफे की चिंता करते हैं।

हैरानी नहीं कि इसी मिलीभगत का नतीजा है कि वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के लिए जो राशि)20,511 करोड़ रुपयेकेंद्रीय बजट में रखी गई (, उसके 40 फीसदी हिस्से के बराबर रकम सिर्फ स्टेंट पर ही खर्च का अनुमान लगाया गया। इस आकलन का आधार वर्ष 2015 में पूरे देश में बेचे गए छह लाख स्टेंट हैं, जिनमें से 1.3 लाख स्टेंट का खर्च सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों ने उठाया। जबिक 4.40 लाख स्टेंट की कीमत लोगों ने निजी तौर पर चुकाई। कुल मिलाकर स्टेंट पर खर्च 3,656 करोड़ रुपये बैठा। सवाल है कि क्या स्टेंट की कीमतों पर लगाई गई बंदिशों के बावजूद दवा लॉबी और अस्तपाल अपनी अंधाध्रंध कमाई के ये रास्ते बंद होने देंगे?

- एक तो खुद दवा उद्योग ऐसे नियंत्रण के सख्त खिलाफ जान पड़ता है और दूसरे बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां महंगे पेटेंटों का हवाला देकर दवाओं की कीमतों में अनाप शनाप बढ़ोतरी भी करती-रही हैं।
- ऐसे में सवाल उठता है कि उन मरीजों के इलाज का क्या होगा जो न तो किसी बीमारी में बेहद महंगी दवाएं खरीद सकते हैं और न ही उनके पास महंगे इलाज की भरपाई करने का कोई साधन होता है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस।
- दवा, उपकरण की कीमत और इलाज के खर्च में सैकड़ों हजारों गुना इजाफे के पीछे अगर हम-बड़े मुल-इस तथ्य पर निगाह डाल पाएं कि कैसे फार्मा लॉबी अमेरिका से लेकर हर छोटे्क के राजनीतिक सिस्टम में भारी पैसा झोंकती है, राजनेताओं को चुनाव खर्च मुहैया कराती है तो समझ में आ जाएगा कि कीमतों का यह सारा गोरखधंधा आखिर अब तक चलता क्यों आ रहा है।
- दवा कंपनियां और अस्पताल सारे खर्च की भरपाई आखिर आम मरीजों से ही करते हैं क्योंकि चोरीछिपे उन्हें ऐसा करने की छूट सरकारें ही देती हैं।

2. कृषि को लाभकारी बनाना ही विकल्प

#Editorial_Dainik_Tribune

हाल ही का सन्दर्भ

सर्वोच्च अदालत ने किसानों की समस्याओं के प्र<mark>ति सरकार की परंपराग</mark>त उदासीनता पर तीखा कटाक्ष किया है कि मुआवजा किसानों की आत्महत्याओं का स्थायी समाधान नहीं है।

- कर्ज में डूबे किसानों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है और सरकार उनके पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के अलावा कुछ कारगर कदम नहीं उठा पा रही।
- एक गैर सरकारी संगठन सिटीजंस रिसोर्स एवं एक्शन इनीशिएटिव्स ने गुजरात में आत्महत्या कर लेने वाले 619 किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है।
- उसी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणी की और केंद्र सरकार से यह सुनिश्चत करने को कहा कि कोई भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर न हो।

और क्याँ कहा अदालत ने

- हमें लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। किसान कर्ज लेते हैं, लेकिन उसे चुका नहीं पाते। इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं, तब आप उनके परिवारों को मुआवजा देते हैं।
- **मुआवजा समाधान नहीं :** सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि उसकी राय में पीडि़त परिवार को मुआवजा देना समाधान नहीं है, कोशिश खुदकुशी रोकने की होनी चाहिए।
- इसलिए योजनाएं इस बात को ध्यान में रखकर बनायी जायें कि किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। निश्चय ही देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद स्वाभाविक और व्यावहारिक तर्क दिये हैं, अन्नदाता को आत्महत्या से बचाने के लिए, लेकिन क्या यह अपने आप में पूरी शासन व्यवस्था पर ही सवालिया निशान नहीं है कि दशकों से जारी किसान आत्महत्याओं के बावजूद उसके स्तर पर ऐसी कोई सोच भी नजर नहीं आती?

ऋण संस्थाएं और बदहाली

- अपनी कृषि, और पारिवारिक भी, जरूरतों के लिए किसान साहूकार से मनमाने ब्याज और शर्तों पर कर्ज लेने को मजबूर होता है, क्योंकि बैंक तक वह पहुंच नहीं पाता और पहुंच भी जाये तो उसे कर्ज नहीं मिल पाता।
- साहूकार का कर्ज किसान के लिए अकसर ऐसा चक्रव्यूह साबित होता है, जिससे वह नहीं निकल पाता और अंतत हताशा में आत्महत्या कर लेता है। :

इसके बावजूद आज तक ऐसी कृषि नीति न बनाया जाना कि कृषि घाटे के बजाय मुनाफे का काम बन जाये, तािक देश के अन्नदाता को खुद अपनी जान न देनी पड़े क्या हमारे नीित निर्माताओं की सोच और—सरोकारों पर ही सवािलया निशान नहीं है? ऐसा नहीं है, किसान कल्याण के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती-हैं, चुनाव के समय कर्ज माफी योजनाएं भी लायी जाती हैं, जब तब समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए भी-अपनी पीठ थपथपायी जाती है, लेिकन ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि किसान कर्ज के जाल से निकल कर आत्मिनर्भर बन सके। बेशक, निहित स्वार्थी सांठगांठ के चलते, यह काम आसान नहीं है, लेिकन असंभव भी नहीं है। जरूरत सिर्फ प्राथमिकताएं और सरोकारों को संतुलित बनाने की है। बाजार में किसी खाद्य पदार्थ की कीमतें अचानक बढ़ जायें तो सरकार चिंतित हो उठती है, लेिकन अपने उत्पाद का लागत मूल्य भी न मिलने पर किसान उसे खेत में या सड़क पर नष्ट करने को मजबूर हो जाये, तो सत्ता प्रतिष्ठानों में किसी के चेहरे पर शिकन नजर नहीं आती। बाजार में कीमतें नियंत्रित करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से लेकर आयात करने तक हर संभव कदम उठाने वाली सरकार किसान को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करती नजर नहीं आती। सरकार ने 2022 किसानों की आय दोगुना करने का वायदा किया है, लेिकन तीन वर्ष में किसानों द्वारा आत्महत्याओं में कमी भी न आना बताता है कि उस पर अमल की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। कथनी करनी के इस फर्क को मिटाये बिनान किसान बचेगा और न ही कृषि।

3. अंतरिक्ष कारोबार में भारत <mark>की बढ़त</mark>

अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी छ<mark>लांग लगा</mark>ते हुए भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन ने पीएसएलवी के (इसरो) माध्यम से 104 सेटेलाइटों को <mark>अंतरिक्ष</mark> की कक्षा में <mark>स्थापित कर एक नया की</mark>र्तिमान स्थापित किया, जिसने दुनियाभर में तहलका मचा दि<mark>या है।</mark>

- पीएसएलवी के प्रारंभ से अभी तक 39 मिशन लिए गए हैं, जिसमें से पहले को छोड़ लगातार 38 मिशनों में उसे कामयाबी हासिल हुई है।
- अपने इस 39वें मिशन में पीएसएलवी ने 1378 किलोग्राम वजन के 104 उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा
 में सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं।
- > इसमें से 96 अमेरिका के थे, जबिक एकएक यान नीदरलैंड-, स्विट्ज़रलैंड, इस्राइल, कजाखस्तान और यूएई से थे। इसमें से कोई भारतीय नहीं था।
- भारत में किसी कंपनी को व्यावसायिक कार्यों के लिए निजी सेटेलाइट ऑपरेशन की इजाजत नहीं है।

Commercialising GENERAL STUDIES HINDI

- विदेशी सेटेलाइटों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो 300 अरब डालर के अंतरिक्ष बाजार का एक बड़ा दावेदार बन गया है।
- दुनिया में इस प्रकार की सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे एरियन स्पेस एवं स्पेसएक्स की तुलना में 3 से 5 प्रतिशत लागत पर ही, इसरो यह सेवा प्रदान करता है।
- जहां वर्ष 2013 और 2015 के बीच इसरो ने मात्र 30 लाख डालर प्रति सेटेलाइट का शुल्क लिया, वहीं एरियन स्पेस के रॉकेट छोड़ने की लागत ही 1000 लाख डालर आती है।
- > स्पेसएक्स प्रति सेटेलाइट छोड़ने के लिए 600 लाख डालर वसूल करता है।
- आज इसरो द्वारा बिना किसी असफलता के सभी रॉकेट छोड़ने की उपलब्धि के बाद दुनियाभर में इसरो की विश्वसनीयता कहीं ज्यादा बढ़ गई है।
- यही कारण है कि इसरो की व्यावसायिक इकाई की प्राप्तियां 'एन्ट्रिक्स'2013 और 2015 के बीच 69 लाख यूरो से बढ़कर 555 लाख यूरो हो गयी हैं। यानी 8 गुणा ज्यादा। इस साल जिस गति से अंतिरक्ष यान छोड़े जा रहे हैं, लगता है कि इसरो की प्राप्तियां उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। के लाभ 'एन्ट्रिक्स'2015 में 205 प्रतिशत बढ़ गये और यदि 2016 की उपलब्धियों को देखें तो यह लाभ कई गुणा बढ़ सकते हैं।

इसरो की सांख

- यूं तो अभी तक इसरो द्वारा 226 सेटेलाइट अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें से 180 विदेशी हैं। लेकिन इसरो की साख केवल अंतरिक्षयान प्रक्षेपण के कारण ही नहीं है। पांच नवंबर, 2013 को मंगल ग्रह पर अंतरिक्षयान सफलतापूर्वक भेजकर, दुनिया को भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल का लोहा मानने को मजबूर कर दिया था। सितंबर 24, 2014 को मंगल ग्रह के पास पहुंचकर यह मंगलयान पृथ्वी पर मंगल ग्रह के चित्र भेज रहा है।
- दुनियाभर के लोगों की दूसरे ग्रहों के बारे में जानने की उत्सुकता स्वाभाविक तौर पर रहती ही है, लेकिन अंतिरक्ष में खोजी यान भेजकर, वहां के बारे में जानकारियां एकत्र करने की योजना को कार्यान्वित करना कोई साधारण बात नहीं होती।
- मंगल अभियान के जिरए भारत ने दुनिया में इस प्रकार का प्रयास करने वाले क्लब में अपनी जगह बना ली है। गौरतलब है कि अमेरिका, रूस और यूरोपीय अंतिरक्ष एजेंसी ही मंगल ग्रह के लिए अपने अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करवा सके हैं।
- अभी चीन और जापान भी मंगल ग्रह को अपने यान भेज नहीं पाये हैं। इस प्रकार अब मंगल अभियान की शुरुआती सफलता के बाद भारत भी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो गया है। बड़ी बात यह है इतने गौरवशाली मंगल अभियान पर मात्र 450 करोड़ रुपये ही खर्च हुए।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मानव के कल्याण में

हालांकि पूर्व में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। अपने और दुनिया के दूसरे मुल्कों के सेटेलाइट भेजकर अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति के माध्यम से आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी, मौसम की सूचनाएं ही नहीं, धरती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करवाने के कारण दुनियाभर के देशों को सेवायें प्रदान कर रहा है।

- आज अपने उपग्रहों के माध्यम से, भारत दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रणाली होने का गौरव भी रखता है। दुनिया के कई मुल्कों को संचार सुविधाएं भारत द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं।
- हाल ही में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और देश के अनेक हिस्सों में आये तूफान के बावजूद हम लाखों जीवन और संपत्ति बचाने में इसलिए कामयाब हो सके क्योंकि हमारे उपग्रहों ने यह पता लगा लिया कि एक भारी तूफान उड़ीसा की ओर जा रहा है।
- यही नहीं मनरेगा के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की देखरेख भी सेटेलाइटों के माध्यम से कर विकास कार्यों में कुशलता लाई जा रही है।
- इन अंतिरक्ष अभियानों के फायदे देशवासियों के लिए अगणनीय हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रणाली, उच्चकोटि मौसम की जानकारियां ही नहीं बल्कि भूगर्भ के बारे में भी हमारे उपग्रह बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करते हैं। अपने अंतिरक्ष कार्यक्रम के माध्यम से भारत द्वारा दूसरे मुल्कों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में भी बड़ी राशियां प्राप्त होती हैं।
- यही नहीं अपने अंतिरक्ष और परमाणु कार्यक्रमों के कारण भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ता जा रहा है। यह सही है कि अभी भी दुनिया के कुल भूखों में से एक चौथाई भारत में बसते हैं। लेकिन-इस भूख से निजात पाने के लिए भी अंतिरक्ष अभियानों का एक खासा महत्व है।
- अरबों साथ भारत को विज्ञान की दृष्टि से-खरबों की संपत्ति और लाखों जीवन बचाने के साथ-अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का भी श्रेय भारत के वैज्ञानिकों को जाता है।

104 सेटेलाइटों के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत का मजाक उड़ाने वाले विदेशी अखबारों की बोलती बंद हुई है।आशाएं बलबती हुई हैं कि भारत अंतरिक्ष अभियान में नई ऊंचाइयां छू पायेगा। अभी तक भारत अंतरिक्ष क्लब के देशों द्वारा भेदभाव का शिकार रहा है। अमेरिका और यूरोप के देश भारत को किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता इसके अंतरिक्ष अभियानों में देने के लिए तैयार नहीं थे। इन कारणों से हमारा अंतरिक्ष अभियान कुछ समय के लिए स्थगित जरूर हुआ, लेकिन देश ने आत्मिनर्भरता के आधार पर

अपनी प्रौद्योगिकी का विकास खुद करने का काम किया। भारत के वैज्ञानिकों द्वारा उत्कृष्टता के अनेकानेक उदाहरण हमारे सामने हैं।

<u>4. क्यों सैन्य ताकत से आईएस को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है</u>

मोसुल का हाथ से निकल जाना इस्लामिक स्टेट के लिए शायद (आईएस) सबसे बड़ी सैन्य असफलता है . इराक का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर उसकी सैन्य सफलताओं के मुकुट का कीमती रत्न था यहां .2014 में उसके मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने अपनी खलीफत की घोषणा की थी लेकिन इसके तीन साल . से भी कम वक्त के भीतर आईएस का दायरा सिकुड़ चुका है.

Spread over of ISIS now

कंभी सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर काबिज रहे इस संगठन का असर अब कुछेक इलाकों तक ही सीमित है यह इसके खिलाफ लगातार चलाए गए सैन्य अभियान के बूते संभव हुआ है जिसमें . शिया लड़ाकों-कुर्द, इराक और सीरिया की सेना और अमेरिका और रूस की वायु सेना शामिल रही है . कुछ हफ्ते पहले ही सीरियाई सेना ने आईएस को प्राचीन शहर पत्मीरा से खदेड़ा था और अब मोसुल में इराकी सुरक्षा बलों ने मोसुल के एयरपोर्ट सहित शहर की ज्यादातर .भी इसका लगभग सफाया हो चुका है प्रशासनिक इमारतों और आबादी वाले ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया है दुक्का हिस्से-अब इक्का . .ही बचे हैं जहां से जिहादी प्रतिरोध जारी है

Is it mean complete annihilation of ISIS

- मोसुल में आईएस की हार का मतलब यह नहीं कि उसका खतरा खत्म हो गया है .इस संगठन की इराक के कुछ हिस्सों में पकड़ अब भी है
- सीरिया में दो रक्का सहित दो अहम शहर इसके कब्जे में हैं अगर यहां से भी उसे उखाड़ फेंका . कायदा जैसे संगठन में तब्दील हो जाएगा-जाता है तो भी यह संभावना तो है ही कि वह अल जिसके कब्जे में भले ही कोई इलाका न हो, लेकिन वह नागरिकों को निशाना बनाता रहता है . होने का (धर्मराज्य) फिर भी यह तो है ही कि किसी इलाके के बिना आईएस खुद के खलीफत .दावा नहीं कर सकता
- यह शहरों से दूर बीहड़ों में खदेड़ दिया जाएगा और इसकी परंपरागत तरीके से लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी.
- छोटी अविध में देखा जाए तो आईएस का कब्जा हटाने के लिए सीरिया और इराक में आईएस के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहना चाहिए लेकिन लंबी अविध के लिए कुछ और कदम भी . आईएस का खतरा फिर इतना पड़ा न हो .उठाने होंगे, इसके लिए सरकारों को ख्याल रखना होगा कि उनका नजिरया समावेशी हो.

What is the need

- इराक में आईएस की आखिरी हार इस पर निर्भर करती है कि सरकार शिया सुन्नी तनाव से कैसे-.निपटती है
- प्रधानमंत्री अल अबादी की प्राथिमकताएं इस मामले में साफ दिखती हैं उनके पूर्ववर्ती की शिया .
 केंद्रित नीतियों ने देश की सुन्नी आबादी को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया था आईएस ने .
 .अपने समर्थन का किला इसी असंतोष की बुनियाद पर खड़ा किया
- लेकिन अल अबादी ने सुन्नी समुदाय तक पहुँचने की कोशिश करते हुए पुराने सामाजिक घाव भरने की कोशिश की है .
- मोसुल में सेना की जीत के बाद उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सुन्नी नागरिकों के साथ भी बराबरी का बर्ताव हो सत्ता में उनकी भागीदारी में एक संतुलन दिखे.
- सांप्रदायिक तनाव की खाई वहां जितनी चौड़ी है उसे देखते हुए यह काम एक रात में संभव नहीं हैलेकिन अल अबादी कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत तो कर ही सकते हैं जिससे.

सुन्नियों का उनकी सरकार के प्रति अविश्वास कम होना शुरू हो नहीं तो आईएस जैसे संगठनों . .को समर्थन मिलने औऱ उनके वापसी करने का खतरा बरकरार रहेगा

5. The Hindu सम्पादकीय नया पिछड़ा आयोग का गठन :

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नये आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल) गठित होगा। इस नये आयोग को (कमीशन फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
- सरकार के इस नये कदम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब पिछड़ा वर्ग सूची में किसी नयी जाति को जोड़ने या हटाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं रहेगा। संसद की मंजूरी के बाद ही ओबीसी सूची में बदलाव हो सकेगा। केंद्र के इस कदम को इसी सामाजिक ताने-पूर्ति के-बाने की आभारतौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ भी हो सकते हैं।
- यह फैसला ऐसे मौके पर भी आया है जब आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाट आंदोलनरत हैं। गुजरात के पाटीदार यानी पटेल और राजस्थान के गुर्जर भी ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने आयोग के गठन का प्रस्ताव लाकर फिलहाल इन समुदायों को आश्वस्त रहने का संकेत दिया है।
- यह तो सर्वविदित है कि राज्य सरकारें और राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के लिए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को समयसमय पर हवा देते रहे हैं। राज्य सरकार-ें तो अपने स्तर पर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करती रही हैं। हरियाणा में पिछली कांग्रेस सरकार ने जाट, जट सिख, त्यागी, रोड समेत छह जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया।
- केंद्र में पिछली यूपीए सरकार ने भी जाटों को ओबीसी में लाने का फैसला किया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का वह फैसला रद्द कर दिया। अब भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार संविधान संशोधन के जिरए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नया आयोग गठित करना चाहती है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
- बशर्ते, इसमें राजनीतिक लाभ की बजाय सामाजिक उत्थान की भावना निहित हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कदम महज कुछ राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर और 2019 के लोकसभा चुनाव केंद्रित होने के बजाय सामाजिक समरसता का वाहक बने।

6. वर्तमान में नीति बेहतर 'लुक वेस्ट'

- वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरिसम्हा राव को आखिरकार आर्थिक उदारीकरण लागू करना पड़ा था क्योंकि इससे पहले लगभग नगण्य रह गए विदेशी मुद्रा भंडार के पिरप्रेक्ष्य में भारत को अपना राष्ट्रीय गौरव तजते हुए सोना गिरवी रखना पड़ा था। उदारीकरण के उपायों ने न सिर्फ देश की घरेलू आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करके रख दिया था बल्कि इन बदलावों ने पूर्व में स्थित हमारे पड़ोसियों की तेजी से तरक्की करती आर्थिकी से तालमेल बिठाने में भी सहायता की थी।
- लिहाजा यह तार्किक तौर पर सही बैठता था कि विदेश नीति के इस नये पहलू को 'लुक ईस्ट'(पूर्वी देशों से संबंध बढ़ाओ पड़ोस से-का नाम दिया जाए। इस दौरान पश्चिमी दिशा में स्थित पास (कायम रहा था। बस इसमें महत्वपूर्ण फर्क केवल यही था कि हमने 'वही पुराना ढर्रा' हमारा इस्राइल के साथ अपने राजनियक रिश्ते कायम किए थे।

- अब नीति अपनाने के पच्चीस साल बाद और कई देशों में नये तटीय गैस और तेल 'लुक ईस्ट' राजनीतिक समीकरणों में जो बदलाव आया है-भंडारों की खोज होने के बाद पूरी दुनिया के भू उसके मद्देनजर भारत ने भी उपलब्ध सुअवसरों का लाभ उठाया है।
- केवल 5 साल पहले तक स्थिति यह थी कि तेल निर्यातक देशों के मुख्य संघ ने अपनी 'ओपेक' मनमर्जी और सुविधा के मुताबिक तेल का उत्पादन कम या ज्यादा करते हुए इसकी कीमतें घटाकर पूरी दुनिया के देशों को अपना बंधक बना रखा था लेकिन उत्तरी और दक्षिणी-बढ़ा अमेरिकी महाद्वीप के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि पश्चिम एशिया के कुछ अन्य देशों में भी तेल और गैस के नये बड़े भंडार मिलने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई थी।
- इस बदली हुई परिस्थिति ने बड़े तेल एवं गैस उपभोक्ता देशों जैसे कि जापान, चीन और भारत को यह मौका मुहैया करवा दिया कि वे अपनी बड़ी खपत के बूते आसपास स्थित तेल उत्पादक देशों से ज्यादा आकर्षक दरों पर मोलभाव कर सकें।
- भारत ने मिले मौकों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने साथ लगते अरब की खाड़ी के तेल उत्पादक पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय संबंध स्थापित कर लिए हैं। इन देशों में 60 लाख से ज्यादा भारतीय कामगार कामधंधे कर रहे हैं और सालाना 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा अर्जित की गई कमाई अपने घरों को भेजते हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में खासा इजाफा करते हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर बड़ी दक्षता से इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुल्कों जैसे कि सऊदी अरब, यूएई और कतर की सरकारों से साथ भारत के सामिरक हितों को स्थापित किया है वहीं ईरान के साथ भी ऊर्जा और संचार के क्षेत्र में सहयोग करने वाले संबंध कायम किए हैं, जो कि अफगानिस्तान और मध्यएशिया में हमारे व्यापारिक और स-ामिरक हितों के लिए बहुत महत्व रखते हैं।
- भारत ने इस साल की शुरुआत यूएई के शेख खलीफा ज़ाएद की मेहमाननवाजी करने के-बिन-साथ की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कतर की यात्रा पर गए थे। यूएई, जो कि भारत में निवेश करने वाले देशों में दसवां स्थान रखता है, ने इस मद में और ज्यादा इजाफा करने की घोषणा की है। सभी अरब देश संयुक्त रूप में हमारे सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं, जो कि पूरी दुनिया में किए जाने वाले हमारे कुल निर्यात का 15 प्रतिशत हिस्सा है।
- तथापि जिस अन्य अरब देश से हमें अपने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना बाकी है, वह है इराक, हालांकि वहां से भारत को होने वाले तेल का निर्यात तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद वहां से भी भारत को तेल का निर्यात होने लगा है लेकिन इराक अपनी अधिक तेल उत्पादन क्षमता के चलते हमारे देश में और ज्यादा बड़ा निवेशक बनने की संभावना रखता है, खासकर ऊर्जा के क्षेत्र में। हमें इराक से तेल खरीदने की एवज में उससे भारत में निवेश करने की शर्त रखनी चाहिए। खाड़ी के देशों से हमारा नौसैन्य सहयोग भी बढ़ता जा रहा है।
- जब बात आर्थिक निवेश की हो तो ईरान से इसे प्राप्त करना सदा ही विकट काम रहा है।
 फिलहाल हम अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशियाई देशों को किए जाने वाले निर्यात के लिए
 ईरान के पश्चिम में स्थित बंदर अब्बास नामक सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लगता हैकि नये बनने वाले चाबहार बंदरगाह में हमारी सहभागिता की अंतिम शर्तों को तय करने में देरी
 होने वाली है। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है
 क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि वह अपने थलीय मार्गों से होकर अफगानिस्तान
 जाने वाले हमारे माल को किसी न किसी बहाने देरी करवाए ताकि अफगानिस्तान की निर्भरता
 उस पर ज्यादाज्यादा बनी रहे।-से-

जॉर्डन के शाह की प्रस्तावित भारत यात्रा से अरब देशों की राजशाहियों से हमारे और ज्यादा प्रगाढ़ संबंधों का मार्ग प्रशस्त होगा। इस्राइल और फिलीस्तीन के आपसी संबंधों से खुद को निष्पक्ष रखकर भी हमने समझदारी भरा काम किया है। फिलीस्तीनी प्रशासन के नेतृत्व से मिलने के लिए जॉर्डन के रास्ते भारतीय राजनियक और नेतृत्व काम आएंगे। वैसे भी जॉर्डन का नेतृत्व भारत से अच्छे संबंध रखने में निजी तौर पर रुचि लेता आया है। भारत का यह फर्ज बनता है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के मुद्दे के अपने आदर्शवादी रुख पर कायम रहे।-

इस्राइल हमेशा भारत का हितैषी और भरोसेमंद मित्र राष्ट्र रहा है और कारिगल युद्ध समेत अन्य लड़ाइयों में भी वह हमारे समर्थन में खड़ा रहा है। अतएव एक यहूदी राष्ट्र से संबंध रखने में हमें किसी तरह की शर्मिंदगी वाला भाव रखने की जरूरत नहीं है। वह भी ऐसे समय में जब हमारे अनेक मित्र अरब राष्ट्र इस्लामिक संसार में व्याप्त वर्गीय और जातीय तनावों के बावजूद खुद भी इस्राइल को एक उपयोगी मित्र राष्ट्र मानने लगे हैं।

SECURITY ISSUE:

1. कश्मीर में नई पैलेट गन और पावा शेल्स का होगा बेहतर तरीके से प्रयोग

पैरामिलिट्री फोर्सेज ने चोटों क<mark>ो कम कर</mark>ने के लिए पैलेट गन को बदलकर प्रयोग करने का फैसला किया है। जो पैलेट गन अब सीआरपीएफ प्रयोग करेगी <mark>वह कुछ इस तरह से हों</mark>गी।

=>क्या होगा इस नई गन में

नई पैलेट गन में एक डिफलेक<mark>्टर यानी</mark> विक्षेपक होगा जो बंदूक के सिरे पर लगा होगा। इस डिफलेक्टर की वजह से शरीर के ऊपर हिस्से पर चोट नहीं लगेगी। आलोचना के बावजूद सीआरपीएफ पैलेट गन का प्रयोग बंद नहीं कर सकती है।

=>नुकसान को कम करने की कोशिश

पहले गलती का अंतर 40 प्रति<mark>शत होता था। अब डिफलेक्टर्स के साथ उ</mark>म्मीद है कि इसे दो प्रतिशत पर लाया जा सकेगा। सीआरपीएफ का कहना है कि पहले अगर कमर से नीचे निशाना लगाकर भी पैलेट गन को फायर किया जाता था तो वह अपने निशाने से भटक जाती थी और कई नाजुक अंगों को चोट पहुंचती थी।

=>पावा शेल्स में भी होगा बदलाव

अब सेनाओं को आदेश दिया है कि वह नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करें। दुर्गा प्रसाद ने बताया है कि बीएसएफ से अनुरोध किया है कि वह पावा शेल्स यानी मिर्ची के हथगोलों में बदलाव करें और उन्हें और ज्यादा प्रभावशाली बनाएं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में शेल का ढांचा ऐसा है कि मिर्ची की धुंआ निकलने से पहले ही उसके खोल को वापस से बीएसएफ पर फेंक दिया जाता है। दुर्गा प्रसाद ने बताया कि बीएसएफ से कह गया है कि वह बॉडी प्लास्टिक या फिर ऐसे किसी तल की बनाएं ताकि यह जमीन पर गिरते ही एक्सप्लोड हो सके।

=>बैन नहीं हो सकती हैं पैलेट गन

कश्मीर घाटी में हिंसा के बीच पैलेट गन के प्रयोग ने जमकर विवाद और हंगामा खड़ा किया। पैलेट गन की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने अगस्त में कहा था कि घाटी में पैलेट गन को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है। कमेटी की ओर से कहा गया है कि सीआरपीएफ सिर्फ कुछ असाधारण घटनाओं में ही पैलेट गन का प्रयोग करेगी।

=>क्या है पैलेट गन

पैलेट के प्रयोग को दुनियाभर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिना खतरे वाला आसान जरिया माना जाता है। पैलेट के अलावा आंसू गैस, वॉटर कैनन, पेपर स्प्रे, टीजर गैस को भी भीड़ नियंत्रण के काम के लिए प्रयोग करते हैं। पैलेट गन शिकार और पेस्ट कंट्रोल के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं।

=>पहली बार वर्ष 2010 में हुआ प्रयोग :-

जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने पहली बार अगस्त 2010 में इसका प्रयोग किया था। सीआरपीएफ के पास करीब 600 पैलेट गन्स हैं। शुरुआत में 4/5 पैलेट टाइप का प्रयोग होता था लेकिन कश्मीर में वर्ष 2010 में करीब 110 लोगों की मौत इससे हुई थी।

2. 'स्वाति' (वेपन लोकेटिंग रडार)

भारत-पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा पर पिछले 2 महीने से भारी तोपों से की जाने वाली फायरिंग बंद है। इसकी वजह क्या है? स्वाति, जी हां! स्वाति नाम के वेपन लोकेटिंग रडार पिछले 2 महीने से LoC पर ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीमा पार से तोपों और दूसरे भारी हथियारों से फायरिंग रुकने के पीछे स्वाति एक अहम कारण है।

कैसे रोकता है यह फायरिंग

- ये रेडार उस लोकेशन की सटीक जानकारी दे सकते हैं जहां से फायिरंग हो रही हो। यह दुश्मन की आर्टिलरी, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों को तबाह करने के लिए हमारे शूटिंग उपकरणों को गाइड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह हमारी ओर से की गई फायिरंग के प्रभाव को भी ट्रैक कर सकता है। पहले यह सुविधा सेना के पास नहीं थी।
- LoC पर भारी आर्टिलरी के इस्तेमाल पर रोक है। छोटे हथियारों से फायरिंग लगातार चलती रहती है और उससे नागरिकों और बंकरों को नुकसान नहीं होता। पिछले एक साल से सीमा पार से हेवी आर्टिलरी से फायरिंग चल रही थी। इससे बहुत नुकसान हो रहा था। यहां तक कि सीमा पार स्नाइपर फायरिंग का भी इस्तेमाल हो रहा था। कहानी में मोड़ आया सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। तब पाकिस्तान से और हेवी फायरिंग की शंका थी। उसी वक्त ये रडार तैयार हो चुके थे। इन्हें फौरन नियंत्रण रेखा पर शिफ्ट किया गया। इन्हें तैनात किए जाने के बाद ही हेवी आर्टिलरी से फायरिंग थमने लगी। संघर्षविराम का उल्लंघन अब भी जारी रहता है, लेकिन छोटे हथियारों के जिरये।

कैसे करता है यह कार्य

- DRDO की लैब में बनाए इस रेडार को राजधानी में हुए एक समारोह में सेना को सौंपा। 'स्वाति' रेडार की क्षमता फायरिंग करने वाले हथियार की लोकेशन को 10 से 15 सेकंड में बिल्कुल सटीक खोज लेता है।
- यह 16,000 फीट तक की ऊंचाई वाले इलाकों में भी कारगर है। तापमान चाहे -30 हो या 55
 डिग्री सेल्सियस, यह 50 किलोमीटर की रेंज तक नजर रख सकता है।
- इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक बताई जा रही है और मुश्किल मौसम में भी ये सही तरह से काम करता है।

लोकेशन पताकर,खत्म करती है हथियार

- -वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को DRDO की इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार स्टैब्लिशमेंट ने डेवलेप किया है।
- -स्वाति रडार मोर्टार,रॉकेट और शेल्स की सही लोकेशन पता लगा लेता है।
- -स्वाति रडार अटैच आर्टिलरी गन को भी गाइड करता है ताकि उनसे वेपंस को नष्ट किया जा सके।

सेना की ओर से 30 'स्वाति' रेडार बनाने का ऑर्डर मिला है, जिनमें 6 तैयार हो गए हैं और 3 पर काम चल रहा है।

3. देश में वैश्विक आतंकवाद की सक्रियता का संदेह

लखनऊ में एटीएस से मुठभेड़ में आईएस से जुड़े आतंकी मोहम्मद सैफुल्ला के मारे जाने पर राजनीतिक चर्चा के साथ उस खतरे की ओर भी निगाहें उठने लगी हैं, जो सीरिया में आईएस के कमजोर होने के साथ भारत पर मंडराने लगा है। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में विस्फोट करने वालों की पिपरिया, कानपुर में गिरफ्तारी और फिर लखनऊ में मुठभेड़ यह साबित करती है कि अब हिंदी भाषी प्रदेश अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से महफूज नहीं हैं।

Social Media and Terrorist

भारत में भी वैश्विक आतंकी सक्रिय है। इन आतंकियों के पास 'टेलीग्राम' नाम का मैसेजिंग एप मौजूद था, जिसका इस्तेमाल करने वालों की पहचान पता लगाना कठिन है। रूसी इंजीनियर द्वारा बनाए गए इस एप का आतंकी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे खुफिया तंत्र को इनसे जानकारी हासिल हुई है कि वे 'खोरासन मॉड्यूल' नाम के आतंकी संगठन से जुड़े हैं जो आईएस की एक शाखा है। यह संगठन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर काम करता है।

Need for caution

बहुत संभव है कि सीरिया में कमजोर पड़ने या सफाया होने के बाद आईएस अलग नाम से दूसरे देशों में अपना तंत्र फैला रहा है। इस काम में उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में यह घटना इस बात की चेतावनी है कि हमारे खुफिया तंत्र को पूरी तरह चौकस रहना होगा और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति से परे सूचनाओं का आदान-प्रदान करना होगा। आतंकवाद विकृत राजनीति की एक शाखा है और इसे स्वस्थ राजनीति की बयानबाजी और संरक्षण का मुद्दा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे नौजवान किसी भी तरह से आईएस की ओर भटकने न पाएं।

4. भारत की अग्नि-5 का असर: चीन अब PAK के साथ बनाएगा बैलेस्टिक मिसाइलें

=>"भारत की अग्नि-5 का असर: चीन अब PAK के साथ बनाएगा बैलेस्टिक मिसाइलें"

- भारत से मुकाबले के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ बैलेस्टिक मिसाइल बनाने का फैसला किया
 है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इन दिनों चीन की ऑफिशियल विजिट पर हैं।
- पाकिस्तान के साथ मिसाइलें बनाने के चीन के फैसले को भारत की अग्नि-5 से जोड़कर देखा जा रहा है।

Background:- भारत की न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि-5 20 मिनट के अंदर पांच हजार किलोमीटर तक जा सकती है। इसकी रेंज में पूरा चीन आता है।

=>क्या है चीन का प्लान...

- चीन पाकिस्तान के साथ बैलेस्टिक और क्रूज मिसाइल बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। इसके अलावा वो अलग से बड़े पैमाने पर आर्मी एयरक्राफ्ट भी बना रहा है
- चीन की फाँरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो साउथ एशिया में स्ट्रैटजिक बैलेंस बनाए रखना चाहता है।

क्यो खास है अग्नि?

- 1000 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है।
- 17 मीटर लंबी अग्नि-5 का वजन 50 टन है। लॉन्चिंग सिस्टम में कैनस्टर टेक्नीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से मिसाइल को आसानी से कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।
- > सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता
- मिसाइल की तीन स्टेज हैं। ये सॉलिड फ्यूल से चलती है। कई न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ छोडे जा सकेंगे। एक बार छोडने पर इसे रोका नहीं जा सकेगा।

=>ये है भारत-पाक की ताकत:-

भारतीय मि	साइलें	रेंज	पाकिस्ता	नी मिसाइर	लें रें	ज	
अग्नि-5	5000 f	केलोमीटर	तैमूर(तै	यार नहीं)	5000 वि	लोमी	टर
अग्नि-4	3500 f	केलोमीटर	शाहीन-	3	2750 कि	लोमी	टर
अग्नि-3	3500 f	केलोमीटर	शाहीन- GENER	2 AL STU	2000 कि	लोमी	ट्र VDI
अग्नि-1	700 f		शाहीन-		700 किल		

Economy

1. 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 10 फीसदी बढ़कर 1,03,818 रुपए रहने का अनुमान

- देश की प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2017 में 10.2 फीसदी बढ़कर 1,03,818 रुपए रह सकती है. सरकार ने 28 फरवरी को यह आंकड़ा जारी किया है.
- वित्त वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 94,178 रुपए रही जो इससे पिछले वित्त वर्ष से 8.9 फीसदी ज्यादा थी.
- वर्ष 2016-17 की राष्ट्रीय आय के दूसरे अनुमान के मुताबिक, 'वित्त वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़कर 1,03,818 रुपए रहने का अनुमान है.'

2. संसदीय समिति ने वित्त वर्ष बदलकर जनवरीदिसंबर करने का सुझाव दिया-

संसद की एक सिमिति ने देश में वित्त वर्ष का समय बदलकर जनवरी दिसंबर करने का सुझाव दिया है।-सिमिति ने कहा है कि अप्रैल से मार्च के वित्त वर्ष की अंग्रेजों द्वाराशुरू की गई दशकों पुरानी परपंरा समाप्त कर दी जानी चाहिए।

- वित्त वर्ष की मौजूदा व्यवस्था भारत सरकार ने 1867 में अपनायी थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के वित्त वर्ष को ब्रिटेन सरकार के वित्त वर्ष के साथ मिलाना था। 1867 से पहले भारत में वित्त वर्ष एक मई से शुरू होता था और अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त होता था।
- वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसदीय सिमिति ने बजट पेश करने की तिथि पहले खिसकाने के मामले में जल्दबाजी को लेकर वित्त मंत्रालय की आलोचना की। सिमिति ने कहा कि बजट एक महीना पहले पेश किये जाने से पहले अच्छी तैयारी और पर्याप्त जमीनी कार्य किये जाने चाहिये थे।
- सिमिति उम्मीद करती है कि सरकार अगले साल से अच्छी तैयारी करेगी। इस संदर्भ में बाधा को ध्यान में रखते हुए सिमिति यह सुझाव देगी कि वित्त वर्ष को भी उसी हिसाब से बदलकर कैलेंडर वर्ष कर दिया जाए। सरकार ने बजट संबंधित विधायी कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के लिये उसे एक महीना पहले पेश करने का फैसला किया तािक संबंधित मंत्रालय वित्त वर्ष शुरू होने के साथ ही आबंटित धन खर्च करना शुरू कर सके।

3. भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में मर्जर

- भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के साथ भारतीय महिला बैंक के विलय को मंजूरी दे दी गयी है.
- इसके पहले एसबीआई में उसके पांच सहयोगी बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का विलय पहली अप्रैल से प्रभावी करने का सरकार ने ऐलान किया था.

=>भारतीय महिला बैंक का गठन और इतिहास:-

भारतीय महिला बैंक का ग<mark>ठन यूपीए</mark> सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में किया गया था. *विशेष रुप से महिलाओं के लिए बने इस बैंक की देश भर में करीब 100 शाखाएं हैं. बैंक का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके करीब 500 कर्मचारी हैं.

- पूरी कवायद का मकसद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक तेज गित से बैंकिंग सेवाएं मुहैया करायी जा सके. साथ ही कर्ज की लागत कम हो और महिलाओं के लिए खास तौर पर प्रोडक्ट तैयार किए जाए.
- स्थापना के बाद से लेकर अब तक भारतीय मिहला बैंक ने करीब 192 करोड़ रुपये का कर्ज मिहलाओं को दिया है जबिक भारतीय स्टेट बैंक ने मिहलाओं को 46 हजार करोड़ रुपये का कर्ज दे रखा है.
- ★एसबीआई की देश भर में 20 हजार से भी ज्यादा शाखाएं और वो काफी सस्ते दर पर कर्ज मुहैया कराती है. बैंक के करीब दो लाख कर्मचारियो में से 22 फीसदी महिलाएं है. ★पूरे बैंक समूह की 126 शाखाएं खास तौर पर महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित हैं. वहीं भारतीय महिला बैंक की ऐसी सिर्फ सात शाखाएं हैं.
- इस बैंक की प्रशासकीय लागत भी काफी ज्यादा है. जबिक इतनी ही लागत पर एसबीआई ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कर्ज दे सकता है.

- सरकार का कहना है कि वित्तीय समावेशन में उसका महिलाओं पर खासा जोर है. प्रधानमंत्री जन धन योजना में जहां ओवरड्राफ्ट्र के लिए महिलाओं को प्राथमिकताएं दी जाती हैं, वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 73 फीसदी कर्ज लेने वाली महिलाएं हैं.
- 4. यूरोपीय संघ और दुनिया के 49 बड़े देशों को लेकर मेड इन कंट्री इंडेक्स जारी

एमआइसीआइ-2017 में उत्पादों की साख के मामले में चीन भारत से सात पायदान पीछे है। सूचकांक में भारत को 36 अंक मिले हैं, जबकि चीन को 28 से ही संतोष करना पड़ा है। सौ अंकों के साथ पहले स्थान पर जर्मनी, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है।

- ★ स्टैटिस्टा ने अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था डालिया रिसर्च के साथ मिलकर यह अध्ययन दुनियाभर के 43,034 उपभोक्ताओं की संतुष्टि के आधार पर किया।
- ★ यूरोपीय संघ समेत सर्वे हुए 50 देश दुनिया की 90 फीसद आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। - सर्वे में उत्पादों की गुणवत्ता,
 - > सुरक्षा मानक,
 - > कीमत की वसूली,
 - > विशिष्टता, डिजायन
 - > एडवांस्ड टेक्नोलॉजी,
 - भरोसेमंद, टिकाऊपन,
 - सही तरीके का उत्पादन और
 - प्रतिष्ठा को शामिल किया गया है।

=>'मेड इन' लेबल का इतिहास :-

★ बात 19वीं सदी के समापन के दौरान की है। जिस तरीके से आज चीन अपने सस्ते और घटिया उत्पादों से दुनिया के बाजारों को पाट रहा है, तब इसी तरह की कारस्तानी के लिए जर्मनी कुख्यात था। ★भले ही आज उसके उत्पादों और इंजीनियरिंग का कोई सानी न हो, लेकिन तब वह भारी मात्रा में अपने घटिया और बड़े ब्रांडों की नकल करके बनाए उत्पादों को ब्रिटेन निर्यात कर रहा था। ★ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डांवाडोल होने लगी। लिहाजा ब्रिटेन ने नकली उत्पादों से बचने को 'मेड इन' लेवल की शुरुआत की।

=>खुली चीन की कलई

संसाधनों की सीमित उपलब्धता के चलते मैन्युफैक्चिरंग में घटिया कच्चे माल का इस्तेमाल करता है। न्यूनतम मजदूरी के बूते उसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जमकर घटिया और सस्ता माल उतारा। उसके उत्पादों की कलई खुल चुकी है। उत्पाद वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर रहे।

5.जल रिपोर्ट : जल संसाधन प्रबंधन भारत के लिए बड़ी चुनौती

विश्व जल दिवस पर जारी वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छह करोड़ 30 लाख लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यह संख्या सबसे ज्यादा है. • विश्व भर के पानी के बारे में जारी एक रिपोर्ट' वाइल्ड वाटर 'में कहा गया है कि यह आबादी लगभग ब्रिटेन की आबादी के बराबर की है.

कारण

- 1. सरकार के नियोजन के अभाव
- 2. बढ़ती जरूरतें
- 3. जनसंख्या वृद्धि
- 4. पानी सुखा देने वाले कृषि कार्य के कारण पानी पर असर पड़ रहा है.

भारत में छह करोड़ 30 लाख लोग स्वच्छ पानी से दूर

भारत के ग्रामीण इलाकों में छह करोड़ 30 लाख लोग स्वच्छ पानी से दूर हैं. इसके कारण हैजा, मलेरिया, डेंगू जैसी आम बीमारियां और कुपोषण के और अधिक पनपने की संभावना है. रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि खेती पर आधारित गांव में रहने वाले लोगों को बढ़ते तापमान के बीच खाद्यान्न उगाने और पशुओं का चारा जुटाने के लिए संघर्ष करना होगा. साथ ही पानी लाने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली महिलाओं को लंबे शुष्क मौसम के दौरान जल के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी.

जल संसाधन भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है

भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुयी अर्थव्यवस्था में से एक बताते हुए इसमें कहा गया है कि देश के समक्ष मुख्य चुनौतियों में से एक चुनौती बढ़ती हुई आबादी के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

भारत के आधिकारिक भूजल संसाधन आकलन के मुताबिक, देश के भूजल के छठे हिस्से से अधिक का इस समय अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है. इसमें कहा गया है, 'उत्तर-मध्य भारत के बुंदेलखंड इलाके में सूखा एक तरह से जीवन का एक अंग बन गया है. यहां लगातार तीन बार पड़े सूखे के कारण लाखों लोग भूख और गरीबी के दुष्चक्र में फंस गये.'

Governance/Ethics HINDI

1. विचाराधीन कैदियों की संख्या: रिहाई प्रक्रिया तेज करना जरूरी

देश की जेलों में बंद क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या केन्द्र और राज्य सरकारों के समक्ष बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इनमें विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत अधिक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केन्द्र सरकार विभिन्न अपराधों के आरोपों में लंबे समय से जेल में बंद उन विचाराधीन कैदियों को रिहा करना चाहती है जो निर्धारित सज़ा की आधे से अधिक अविध जेल में गुजार चुके हैं।

<u>एक नजर आंकड़ो पर</u>

- एक अनुमान के अनुसार इस समय देश की 1401 जेलों में 67 प्रतिशत से अधिक कैदी विचाराधीन हैं।
- > इन जेलों में 134 केन्द्रीय जेल, 379 जिला कारागार, 741 उपकारागार, 18 महिला जेल, 63 खुली जेल और 43 विशेष जेल भी शामिल हैं।
- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 में देश की जेलों की क्षमता 3,66,781 थी लेकिन इनमें 4,19,624 कैदी बंद थे। इन कैदियों में 2,82,076 विचाराधीन कैदी थे।

> इनमें से 13.35 फीसदी विचाराधीन कैदी एक से दो वर्ष, 6.34 फीसदी दो से तीन साल, 4.05 फीसदी तीन से पांच साल और 1.27 फीसदी पांच साल से अधिक समय से जेलों में बंद हैं। इन विचाराधीन कैदियों में 80,528 निरक्षर और 1,19,082 दसवीं तक ही पढ़े हैं जबिक इनमें 5225 पोस्ट ग्रेजुएट और 16365 स्नातक स्तर तक शिक्षित हैं।

Fallout of this

क्षमता से अधिक कैदी जेलों में बंद होने की वजह से निश्चित ही उन्हें अमानवीय स्थिति में रहना पड़ता होगा।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-क के अंतर्गत यदि कोई कैदी अपने उस कथित अपराध के लिये कानून में निर्धारित सजा की आधी अविध पूरी कर चुका हो तो उसे जमानत या बगैर मुचलके के रिहा किया जा सकता है। लेकिन इसका लाभ उन विचाराधीन कैदियों को नहीं मिल सकता, जिनके खिलाफ ऐसे अपराध में लिप्त होने के आरोप हैं, जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है या फिर कोई अन्य स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

- मानवाधिकार संगठन वैसे तो विचाराधीन कैदियों की स्थिति को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं परंतु 2010 में संप्रग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के अभियान के तहत दो लाख से अधिक ऐसे विचाराधीन कैदियों की रिहाई हुई थी जो सालों से जेल में बंद थे। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन कैदी तो अधिकतम सजा से भी ज्यादा समय जेल में गुजार चुके थे। इनमें ऐसे कैदी भी थे जो जमानत मिलने के बावजूद जमानती की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण रिहा नहीं हो सके थे।
- इसी बीच, सितंबर 2014 में उच्चतम न्यायालय ने अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का संज्ञान लिया। न्यायालय ने महसूस किया कि 35 सालों में तमाम निर्देशों के बावजूद सरकारें जेलों में सुधार की ओर ध्यान नहीं दे रही हैं।
- क्षमता से अधिक कैदी बंद होने की वजह से जेलों में अकसर हिंसा की घटनायें भी सामने आने लगी हैं।
- न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस स्थित पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा भी कि ऐसा लगता है कि जेलों में बंद व्यक्तियों की स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है और एक बार फिर न्यायालय को कैदियों की स्थिति और जेलों में सुधार की ओर ध्यान देना पड़ेगा।
- स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ही न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों की समीक्षा के लिये गठित जिला स्तर की समिति को हर तीन महीने में बैठक करने और इनमें जिला विधिक सेवा समिति के सचिव को शामिल होने का निर्देश भी दिया था।
- न्यायालय ने कहा था कि विचाराधीन कैदियों को यथाशीघ्र रिहा करने पर गौर किया जाये। न्यायालय चाहता था कि पहली बार किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति के संदर्भ में अपराधी परिवीक्षा कानून के अमल पर भी गौर किया जाये ताकि ऐसे व्यक्तियों को सुधरने और समाज में फिर से पुनर्वास का अवसर मिल सके।
- केन्द्र सरकार ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-क के तहत सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखकर जिला स्तर पर समीक्षा समिति गठित करने का आग्रह किया था ताकि विचाराधीन कैदियों की रिहाई की दिशा में कदम उठाये जा सकें। ऐसा लगता है कि बात आगे नहीं बढ़ सकी और इसी वजह से कानून मंत्री रिव शंकर प्रसाद को एक बार नये सिरे से यह कवायद शुरू करनी पड़ी है।

2. आधार कार्ड की जानकारी लीक होने का खतरा कायम

Context

हाल में एक्सिस बैंक से आधार का बायोमेट्रिक डेटा चोरी हो गया। इसके बाद प्राधिकरण ने एक्सिस बैंक के खातों के आधार पर लेनदेन बंद कर दिया था। यह एक नमूना है-, जिसमें एहतियाती कदम उठा लिए गए लेकिन, जब आधार नंबर की संख्या 131 करोड़ तक पहुंच जाएगी और केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं को इससे जोड़ दिया जाएगा तब डेटा सुरक्षा की रोजाना की चुनौती बड़ी हो जाएगी।

- चुनौती यह भी होगी कि जिन लोगों के आधार नंबर जारी नहीं हुए हैं उन्हें कैसे सरकारी योजनाओं की सुविधा मुहैया कराई जाए और जिनकी सुविधाएं आधार संख्या से जुड़ी हैं उनके डेटा को कैसे गोपनीय रखा जाए।
- आधार कार्ड का सारा कमाल बायोमेट्रिक डेटा यानी उंगलियों के निशानों और आंख की पुतलियों पर आधारित है। कई बार मनुष्य के काम और बीमारी के कारण उसकी अंगुलियों की छाप और पुतलियों की संरचना में बदलाव होता है व कम्प्यूटर व्यक्ति को पहचानने से इनकार भी कर देता है।

Steps towards data protection

सरकार ने आधार कार्ड की जानकारी की सुरक्षा के बारे में रेगुलेशन तैयार कर लिया है और उसके दुरुपयोग पर तीन साल की सजा का प्रावधान भी करने जा रही है लेकिन, डेटा चोरी और उसके गलत इस्तेमाल का खतरा टला नहीं है। सबसे बड़ा खतरा बैंक खातों के बारे में है। अगर बैंक खातों से संबंधित आधार कार्ड का डेटा हैक हो गया तो किसी के भी खाते से धन निकासी को रोक पाना कठिन होगा। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी बैंक लेगा या भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण यह स्पष्ट नहीं (यूआईडीएआई) है। संभव है डेटा चोरी होने का मुकदमा दायर भी हो जाए लेकिन, असली सवाल यह है कि खातों से चोरी गए धन की भरपाई कौन करेगा?

Conclusion

हैकिंग और सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों की जासूसी का खतरा व्यक्ति की संपत्ति और निजी स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। कानून बन रहा है कि आधार कार्ड से होने वाले कारोबार के डेटा को सात साल सुरक्षित रखा जाए ताकि विवाद होने पर उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां भी डेटा तक तभी पहुंच सकेंगी जब जिला जज अनुमित दे और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डेटा तभी हासिल किया जा सकता है, जब संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी इजाजत दे। इनके बावजूद जाति, धर्म और विचारधारा के आधार पर काम करने वाली कार्यपालिका से भी दुरुपयोग के खतरे हैं और हर हाल में लाभ कमाने वाले चोरों से भी।

3. 40 फीसदी से ज्यादा RTI आवेदन बिना कोई वजह बताए रद्द किए गए रिपोर्ट :

सूचना का अधिकार कानून के तहत रहस्यमयी कारणों से रद्द होने वाले आवेदनों की संख्या (आरटीआई) काफी ज्यादा है केंद्रीय सूचना आयोग की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक:

2015-16 में 9.76 लाख सूचना आवेदन आए, इनमें से अधिकारियों ने 6.62 फीसदी आवेदनों को रद्द कर दिया .

- > इससे पहले 2014-2015 में 7.55 लाख आवेदन आए थे और 8.39 फीसदी आवेदन रद्द हुए थे . दो साल पहले के मुकाबले पिछले साल रद्द आवेदनों का प्रतिशत घटने के बावजूद20 प्रतिशत ज्यादा आवेदन जमा किए थे.
- पिछले साल रद्द आवेदनों में ज्यादातर को सूचना कानून में दर्ज आधारों के बजाए जैसी 'अन्य' वर्ग के तहत रद्द आवेदनों की संख्या 'अन्य' इस .रहस्यमयी वजह देकर खारिज किया गया है43 फीसदी हैवहीं ., आरटीआई कानून की धारा आठ के तहत 47 फीसदी आवेदन रद्द हुए हैं इसके . अलावा एक फरीसदी आवेदनों को निजी कॉपीराइट के तहत, जबिक सात फीसदी आवेदनों को सुरक्षा संस्थानों ने रद्द किया है.
- केंद्रीय सूचना आयोग ने (सीआईसी)2015-16 में 28,188 अपीलों और शिकायतों का निपटारा किया, जबिक इसी अविध में आयोग के पास 25,960 शिकायतें दर्ज हुईंइसके अलावा एक . अप्रैल 2016 तक लंबित मामलों की संख्या 34,982 रही आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक .2015-16 में जन सूचना अधिकारियों पर 10.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 9.41 लाख का भुगतान हुआ, जबिक 1.25 लाख जुर्माने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी.

4. Education Reforms : शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को सरकार की मंजूरी

- केंद्र सरकार ने शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य बनाने को अपनी मंजूरी दे दी। इसके तहत अब प्राथमिक पाठशालाओं) आठवीं तक के स्कूल (में नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए एक न्यूनतम योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा।
- इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। हालांकि शिक्षकों को यह प्रशिक्षण हासिल करने की तय अविध 31 मार्च 2015 से बढ़ाकर 31 मार्च 2019 तक कर दी गई है। यानी उन्हें अब दो साल और मिल गए हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा का अधिकार) आरटीई (कानून में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया।
- ज्ञात हो, आरटीई कानून के तहत सभी सेवारत शिक्षकों को साल 2015 तक ही यह प्रशिक्षण दिलाया जाना था, लेकिन सरकार इसे अमल में नहीं ला सकी। राज्य सरकारों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के 66.41 लाख शिक्षकों में अब तक 11 लाख प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं।
- इनमें से 5.12 लाख जहां सरकारी क्षेत्र में हैं, वहीं 5.98 लाख निजी क्षेत्र में हैं। अब 31 मार्च, 2019 तक इन्हें यह प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। वर्ष 2010 में जब आरटीई कानून लागू हुआ था, उसी समय कानून की धारा 23 (2) के तहत यह तय किया गया था कि जिन शिक्षकों ने न्यूनतम प्रशिक्षण हासिल नहीं किया है, उन्हें हर हाल में वर्ष 2015 तक यह प्रशिक्षण दिला दिया जाएगा।

Miscellaneous

1. आईएनएस विराट रिटायर, तीनदशक तक दीं नौसेना को सेवाएं

- दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक सेवा देने वाला विमान वाहक पोत आईएनएस विराट रिटायर हो गया।
- लगभग 57 सालों तक सेवाएं देने वाले इस पोत ने तीन दशकों तक भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दीं और देश को सुरक्षित रखने में अहम योगदान दिया।

- लगभग 24 हजार टन वजन वाला आईएनएस विराट उन्नत किस्म का विमान वाहक पोत है जिसका निर्माण 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था।
- इसकी लंबाई 743 फुट और चौड़ाई 160 फुट है।
- भारतीय नौसेना में 30 सालों तक सेवाएं देने से पहले, आईएनएस विराट 27 सालों तक ब्रिटेन के रॉयल नेवी के पास था।
- एचएमएस हर्मीस के नाम से पहचाने जाने वाला पोत 1959 से रॉयल नेवी की सेवा में था। 1980 के दशक में भारतीय नौसेना ने इसे साढ़े छह करोड़ डॉलर में खरीदा था और 12 मई 1987 को सेवा में शामिल किया।
- नौसेना में शामिल होने से पहले विराट ने 1982 के ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड युद्ध में भाग लिया था। INS विराट ने कई बड़े मिशन में भाग लिया। इनमें जूपिटर मिशन और पराक्रम मिशन महत्त्वपूर्ण हैं।
- आईएनएस विराट ने कई बार तनावपूर्ण स्थितियों में देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। आईएनएस विराट को सेवा से हटाए जाने के बाद नौसेना के पास दो विमान वाहक पोत कम हो जाएंगे क्योंकि आईएनएस विक्रांत को पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है।
- > हालांकि अभी आईएनएस विराट के भविष्य को लेकर कोई फैसला आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया है, पर संभावना है कि उसे म्यूजियम या होटल में तब्दील कर दिया जाए।

